RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

कहते है कि धर्म के बिना इंसान लगाम के बिना घोड़े की तरह है।

सर्वपल्ली राधाकृष्णन

वर्ष-08, अंक - 28 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 30 अप्रेल 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

विपक्ष का संवैधानिक हक है विरोध करना...

माही की गूंज,झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान में सुचारू शासन संचालित करने के लिए पक्ष और उनके किसी भी कार्य का लोकतांत्रिक विरोध करने के लिए विपक्ष बनाया है। पिछले दिनों संसद के विशेष सत्र में सरकार ने तीन महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पेश किए गए लेकिन सरकार उन्हें दो तिहाई बहुमत के साथ पारित नहीं करवा पाई। इसके बाद पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों द्वारा परस्पर दोषारोपण किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि, वह महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है लेकिन सरकार की मंशा महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन विधेयक पारित करवाना था। जिससे लोकसभा क्षेत्रो का नया परिसीमन करवा कर, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा सदस्य संख्या बढ़ाना चाहते हैं। अगर सरकार वास्तव में महिलाओं की इतनी चिंता करती है तो उसे मौजूदा सदस्य संख्या में से ही 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। जबकि सरकार को चाहिए था कि, वह इस बिल को पेश करने के पहले ही तमाम राजनीतिक दलों से चर्चा कर, उनकी शंका का समाधान करते हुए एक सर्वसम्मान बिल पेश करना था जिससे विपक्ष भी उस बिल का समर्थन करता। लेकिन जैसा की विपक्ष का आरोप है कि, पांच राज्यों के चुनाव के बीच में सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाया जाना और बिल पेश करना एक जल्दबाजी में उठाया गया कदम था। जो की चुनावी राज्यों में लाभ लेने की दृष्टि से लाया गया था। लेकिन विपक्ष ने सरकार की मंशा को पूरा नहीं होने दिया।

जिसके बाद देशभर में सरकार ने बिल के समर्थन में प्रदर्शन का ऐलान किया। वही विपक्षी दल भी सरकार द्वारा लाए गए बिल की हकीकत को जनता के सामने रख रहे हैं।

विपक्ष को विरोध करने का संवैधानिक हक है ऐसे में सरकार द्वारा यह कहना कि, विपक्ष के विरोध के कारण नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित नहीं हो पाया, सही नहीं है। विपक्षी दलों के सांसद भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही है ऐसे में उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। और सरकार की नीतियों की तथ्यात्मक और संवैधानिक आलोचना करना उनका अधिकार है। सरकार किसी भी नीतिगत निर्णय को पारित करने के पहले विपक्ष को विश्वास में लेना आवश्यक है। यही तो हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है कि, इसमें सरकार के साथ ही विपक्ष को अहमियत मिली हुई है।

राष्ट्र के नाम संबोधन पर भी विवाद

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित न होने पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर भी विवाद छिड़ गया है। कई बुद्धिजीवी इसे सरकारी पद का दुरुपयोग मान रहे हैं। उनका कहना है कि, सरकार द्वारा किसी विधेयक को संसद में पास करना या ना करना संसद का कार्य है और संसद के सदस्यों ने उसे संवैधानिक तरीके से ही पास नहीं होने दिया है, इसमें गलत क्या है...? ऐसे में प्रधानमंत्री का बीच चुनाव में राष्ट्र के नाम संबोधन केवल चुनावी लाभ के लिए किया गया राजनीतिक स्टंट था। ऐसे में कल को अगर सरकार द्वारा लाया गया अन्य कोई विधेयक पारित नहीं होता है तो, क्या हर विधेयक पर प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधन करेंगे और माफी मांगेगें...? राष्ट्र के नाम संबोधन विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया जाता है और राष्ट्र के नाम संबोधन राष्ट्रीय और अंर्तराष्ट्रीय महत्वपूर्ण विषयों पर दिया जाता है। या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक या आपातकालीन स्थिति हो जिससे पूरे देश को अवगत कराया जाना आवश्यक हो।

निःसंदेह देश की आधी आबादी (महिला) को उसका पूरा हक मिलना चाहिए। लेकिन किसी भी बिल को पास करने में अगर सरकार सफल नहीं हो पाती है तो इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार नहीं है। बल्कि सरकार का कमजोर होमवर्क जिम्मेदार है, क्योंकि वह विपक्ष को विश्वास में नहीं ले पाया। अगर विपक्ष को कोई शंका है तो उसका समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है।

क्या मोदी जी का जादू उतर रहा है...?

संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित न होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ आ गई है। कई यूजर लिख रहे हैं कि, 2014 से चला आ रहा मोदी जी का जादू अब उतर रहा है। वही आपरेशन सिंदूर में अचानक संघर्ष विराम के फैसले से उनके कई समर्थक निराश नजर आए। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में अचानक एक दुकान पर झालमुडी खाने को लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हो रही है।

एक युजर ने लिखा है कि, मोदी जी ने 10 रूपए में पूरे देश में भंडारा कर दिया। वहीं अन्य यूजर लिखते हैं कि, मोदी जी हर जगह कैमरा ले जाकर कैमरा जीवी बन गए हैं। अभी तक कई समर्थक जो मोदी जी के हर कदम को मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे वह भी मोदी जी के खिलाफ हो गए हैं। वर्तमान में अमेरिका, ईरान युद्ध को लेकर भी तरह-तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि, भाजपा और मोदी जी का ग्राफ जितना बढ़ना था बढ़ चुका है अब ढलान पर है ।

बंगाल में दूसरे चरण के मतदान की शुरुआत में ईवीएम खराब, हंगामा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 142 सीटों पर बुधवार सुबह मतदान शुरू हुआ। सुबह 9 बजे तक 18.39 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया और सुबह 5रू30 बजे से ही मतदाता केंद्रों पर पहुंचने लगे। अधिकांश मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें नजर आईं।

इस बीच हावड़ा के बाली क्षेत्र में ईवीएम में गड़बड़ी की खबर के बाद हंगामा हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने दो लोगों को हिरासत में लिया। वहीं नाडिया जिले के छपरा में एक भारतीय जनता पार्टी एजेंट ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया, जिससे इलाके में तनाव बना रहा।

कोलकाता के राजरहाट-गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के पंचनंतला, घोषपारा, केस्टोपुर और चंदीबेरिया नवजागरण क्लब सहित कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी की शिकायतें सामने आईं। हालांकि बाद में मशीनों को ठीक कर मतदान दोबारा शुरू कराया गया।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बाहरी पर्यवेक्षक तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों को निशाना बना रहे हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने बिना स्थानीय पुलिस के उनके एक पार्षद के घर पर कार्रवाई की और तोड़फोड़ की। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में डर का माहौल बनाया जा रहा है और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए, लेकिन हालात बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उनके अनुसार, मतदाता स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकें, यह सुनिश्चित होना चाहिए।

गौरतलब है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में इन 142 सीटों में से 123 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थीं। इससे पहले 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान में 152 सीटों पर रिकॉर्ड 93 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। राज्य में जारी इस चरण के मतदान के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे, जिन पर पूरे देश की नजर बनी हुई है।पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में लगभग 3.21 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें 1.64 करोड़ पुरुष, 1.57 करोड़ महिलाएं और 792 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं।

मार दिया तो मार दिया कौन सी बड़ी बात, बयान पर बढ़ा विवाद

नई दिल्ली।

देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस की गोली से बिहार के खगड़िया निवासी 23 वर्षीय युवक पांडव कुमार की मौत का मामला अब बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। इस संवेदनशील मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान ने मामले को और तूल दे दिया है। दिल्ली पुलिस के सिपाही द्वारा की गई गोलीबारी पर जब उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मार दिया तो मार दिया। अगर पुलिस की गोली से मरा है तो कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा। जांच होगी और यदि दोषी पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोई जानबूझकर किसी को नहीं मारता, संदेह होने पर ही ऐसी स्थिति बनती है। उनके इस बयान के बाद विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

इससे पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में बिहारी होना ही अपराध जैसा बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि पांडव कुमार की हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि वह बिहार का निवासी था, और इस घटना में उसका मित्र कृष्ण अभी भी जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की।

वहीं, जब मांझी से तेजस्वी यादव के आरोपों पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें वर्ष 2005 से पहले अपने पिता के शासनकाल को भी देखना चाहिए।

घटना के बाद खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने दिल्ली में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस घटना को कानून-व्यवस्था और मानवाधिकारों पर गंभीर प्रश्न खड़ा करने वाला बताया और इसकी कड़ी निंदा की। सांसद ने अपनी पार्टी की ओर से पीड़ित परिवार को दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। सांसद पप्पू यादव ने भी परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी।

तुर्की के प्रतिद्वंद्वी देश ग्रीस में भारत की मजबूत पैठ की तैयारी

नई दिल्ली।

ग्रीस से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां का एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह, जिसे पूरे यूरोप की धड़कन कहा जाता है, अब भारत के प्रभाव क्षेत्र में आ सकता है। जानकारी के अनुसार, एलेक्जेंड्रोपोलिस बंदरगाह में एक भारतीय कंपनी बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने या उसे खरीदने के लिए ग्रीस सरकार से बातचीत कर रही है। यह सौदा केवल व्यापारिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक शक्ति को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है।

इस बंदरगाह का महत्व इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण और बढ़ जाता है। यह बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन के करीब स्थित है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से यह बंदरगाह यूरोप के लिए जीवनरेखा बन गया है। नाटो देशों के टैंक, हथियार, अनाज और गैस की आपूर्ति इसी मार्ग से यूरोप तक पहुंच रही है।

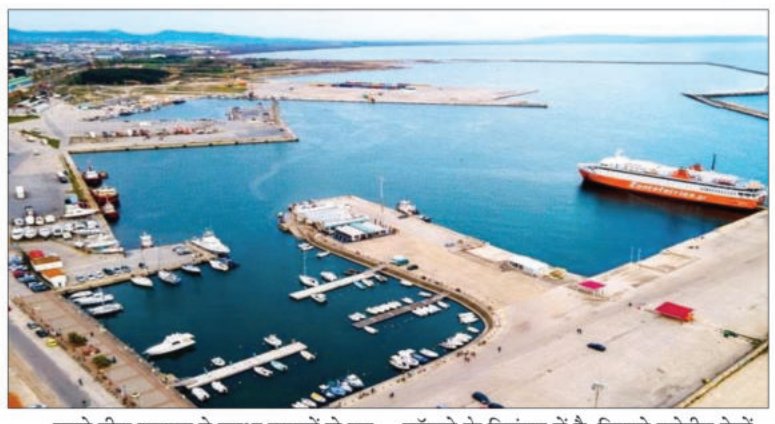

पहले ग्रीस सरकार ने सुरक्षा कारणों से इस बंदरगाह की बिक्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं और भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में चीन और तुर्की का भी अहम पहलू जुड़ा हुआ है। ग्रीस का प्रमुख बंदरगाह पीरियस वर्तमान में चीन की कंपनी कॉस्को के नियंत्रण में है, जिससे यूरोपीय देशों में रणनीतिक चिंता बढ़ी है।

भारत की छवि एक ऐसे देश की है जो व्यापार तो करता है, लेकिन दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान भी करता है। वहीं तुर्की और ग्रीस के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है, और तुर्की का पाकिस्तान के प्रति झुकाव भी देखा गया है। ऐसे में ग्रीस में भारत की मौजूदगी तुर्की के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है।

भारत के लिए यह बंदरगाह एक सुनहरे द्वार की तरह है, क्योंकि वह लंबे समय से डिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य

भारत के सामान को अरब देशों के रास्ते सीधे यूरोप तक पहुंचाना है। एलेक्जेंड्रोपोलिस इस मार्ग का अंतिम प्रमुख पड़ाव बन सकता है, जहां से भारतीय उत्पाद पूरे यूरोप में वितरित होंगे।

इससे भारत के निर्यात में वृद्धि होगी और स्वेज नहर जैसे मार्गों पर निर्भरता कम हो सकती है। साथ ही, इस बंदरगाह में भारत की भागीदारी से यूरोप की आपूर्ति श्रृंखला और सुरक्षा ढांचे में भारत की स्थायी भूमिका मजबूत होगी। यह पहल भारत की उस विदेश नीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसमें वह केवल क्षेत्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है।

विकास की भाषा में छिपा विनाश - राहुल गांधी

नई दिल्ली।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तैनस ळंदकीप ने बुधवार को ग्रेट निकोबार द्वीप के दौरे का वीडियो साझा कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने केंद्र की ग्रेट निकोबार द्वीप विकास योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह विकास नहीं, बल्कि विकास की भाषा में छिपा विनाश है। राहुल गांधी वीडियो में ग्रेट निकोबार द्वीप के जंगलों में घूमते नजर आए।

राहुल गांधी ने सामाजिक माध्यम मंच ''एक्स (पूर्व में ट्विटर)'' पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज उन्होंने ग्रेट निकोबार की यात्रा की, जो उनकी जिंदगी के सबसे अनोखे जंगलों में से एक है।

उन्होंने कहा कि यहां ऐसे पेड़ हैं जो हमारी यादों से भी पुराने हैं और ऐसे वन हैं जिन्हें उगने में कई पीढ़ियां लगी हैं।

उन्होंने कहा कि इस द्वीप के लोगकृचाहे वे आदिवासी समुदाय हों या वहां बसने वाले अन्य लोगकृबहुत सरल और सुंदर हैं, लेकिन उनसे उनका हक छीना जा रहा है।

उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि सरकार यहां जो कर रही है, उसे वह ÷परियोजना÷ कहती है, लेकिन वास्तव में यह लाखों पेड़ों की कटाई की तैयारी है। उन्होंने कहा कि लगभग 160 वर्ग किलोमीटर का वर्षावन समाप्त होने की कगार पर है।

उन्होंने आरोप लगाया कि यहां के समुदायों की अनदेखी की जा रही है और उनके घर उनसे छीने जा रहे हैं। यह विकास नहीं, बल्कि विकास की भाषा में छिपा हुआ विनाश है।

राहुल गांधी ने कहा कि ग्रेट निकोबार में जो कुछ हो रहा है, वह देश की प्राकृतिक और आदिवासी विरासत के खिलाफ गंभीर अपराध है और इसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि देशवासी भी वही देखें जो उन्होंने देखा है, तो इस स्थिति को बदला जा सकता है।

यह कैसा सुशासन : दांत तोड़ दूंगा, और जिंदा गाड दूंगा...?

माही की गूंज, झाबुआ डैस्क।

भाजपा प्रत्येक चुनाव में आम जनता से सुशासन के नाम पर वोट मांगती है और दावा किया जाता है कि, भाजपा शासित राज्यों में सुशासन है लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। भाजपा नेता, विधायक और मंत्री यहां तक की उनके रिश्तेदार भी सत्ता के नशे में मदमस्त होकर न केवल आम जनता से बदसलूकी करते हैं वरन अधिकारी, कर्मचारियों पर भी सत्ता का रोब दिखाते हैं। चाहे मंदिर में दर्शन को लेकर हो या सड़क पर साइड न मिलने का मामला हो, हर जगह सत्ता की धाक दिखलाकर आम जनता को डराया जाता है। ताजा मामला आलीराजपुर जिले का है जहां मंत्री नागर सिंह चौहान के भाई इंदरसिंह चौहान ने महिला जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दांत तोड़ने और जिंदा जमीन में गाड़ने की धमकी सरेआम दे दी। इसके बाद महिला सीईओ घबरा गई और अपनी सुरक्षा की मांग करने लगी। जिसके बाद

जिला पुलिस अधीक्षक ने महिला अधिकारी को सुरक्षा गार्ड भी उपलब्ध करवाया है। मामला महिला आयोग तक भी पहुंच चुका है, आगे और क्या कार्रवाई होती है यह तो भविष्य में तय होगा। लेकिन पुलिस ने तात्कालीक कार्यवाही करते हुए, आरोपी मंत्री के भाई इंदरसिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मंत्री का भाई जमानत पर बाहर आ चुका है लेकिन देश और प्रदेश में उक्त प्रकरण चर्चित हो गया है। आम जनता के मन में यह सवाल उठ रहा है कि, क्या यही है भाजपा का सुशासन, जहां आम जनता तो क्या ,कर्मचारी और अधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं...?

मामला सामने आने के बाद भाजपा बैक फुट पर आ गई है। पत्नी जनपद पंचायत अध्यक्ष, भाई मंत्री और भाभी सांसद होने के बाद भी दबंगई की हर जगह आलोचना हो रही है। यही नहीं मंत्री नागर सिंह चौहान ने पल्ला झाडते हुए स्पष्ट कहा है कि मेरी, मेरे भाई से बोलचाल ही नहीं है। वही मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए तत्काल प्रकरण दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी भले ही जमानत पर बाहर है लेकिन पार्टी की सुशासन की छवि पर एक अमिट दाग छोड़ दिया है,जो निकट भविष्य में धुलना मुश्किल है।

निजी विद्यालयों की मनमानी और देखरेख की लचर व्यवस्था में सरकारी विभाग

शिक्षा के स्तर में सुधार का दावा करती प्रदेश सरकार

माही की गूंज, झाबुआ।

समाज को जागरुक करने की आवश्यकता पर जब बल दिया जाए तो उसमें शिक्षा का स्थान प्रमुख होता है। शिक्षित, समझदार, विद्वान, ज्ञानी, बुद्धीजीवी व्यक्ति समाज को जागरुकता की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए जागरुकता के लिए समाज में शिक्षा का होना अति आवश्यक है, और इसी कारण से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। जिससे वे पढ़े, लिखे और ज्ञान को प्राप्त कर जीवन शैली को उच्च स्तर पर ले जा सके। परंतु शिक्षा के निजीकरण और सरकारी तंत्र में दो किनारे सा अंतर है। सरकार, सरकारी शिक्षा प्रणाली को शक्तिशाली बनाने के सेकड़ों दावे कर रही है और सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से उसे पूरा करने की कोशिश भी कर रही है। किंतु फिर भी शिक्षा का निजीकरण अपनी अकड़ में अपनी मनमर्जी के अनुसार नियमों को ताक में रखते हुए अपने क्रियाकलापो को सक्रियरुप से संचालित करते हैं, जिन पर देखरेख करने वाला विभाग न तो ठीक से मानिटरिंग कर पा रहा है और न ही नियमों के उल्लघंन पर अंकुश लगा रहा है।

निजी स्कूल मनमाने रवैये से फीस बढ़ाते हैं, फिर पुस्तकों और विद्यार्थियों की युनिफार्म, नई-नई एक्टीवीटी और भी अन्य बहानों के साथ विद्यार्थियों के माता-पिता को लूटते है। निजी विद्यालय क्या-क्या करता है उसकी जानकारी संचालक को सरकार के शिक्षा विभाग के पोर्टल डीपीआई पर डालनी होती है। लेकिन 70 प्रतिशत से अधिक निजी स्कूलों की पिछले सत्र की जानकारी भी अधूरी है। निजी विद्यालय संचालको द्वारा प्रतिवर्ष स्कूली फीस की बढ़ोत्तरी पर नियंत्रण के लिए निजी स्कूल शुल्क विनियमन अधिनियम लागू है। दो वर्ष पहले इस कानून में संशोधन कर इसे प्रभावी बनाने का दावा भी किया गया। किंतु निजी विद्यालयों की मनमानी वर्तमान में जारी है, उस पर किसी का जोर नहीं चलता। प्रतिवर्ष नए शैक्षणिक सत्र के शुरुआती दौर में पालक संघ द्वारा विरोध किया जाता है फिर निजी विद्यालय संचालक के साथ उनकी समझौता बैठक हो जाती है पालक संघ को लाभ हो जाता है और वो अपना पाला बदल लेते हैं। जिस तरह पालक संघ बदल जाता है उसी तरह शिक्षा विभाग भी अपनी कुर्सी की दिशा बदल देता है। शैक्षणिक सत्र शुरु हो चुका है लेकिन अभी तक किसी भी निजी विद्यालय द्वारा फीस की संरचना का ब्योरा, पुस्तक विनिमय का ब्योरा शिक्षा विभाग के पोर्टल पर नहीं डाला गया है। पुस्तकों की सूची सार्वजनिक कर पोर्टल पर नहीं सबमिट की। शिक्षा विभाग को तो यह भी नहीं दिखाई देता है कि, सत्र शुरु होने पर प्रदेश के 30 हजार से अधिक निजी स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है। फीस और संबंधित विषयो के विनियमन अधिनियम 2020 के अंतर्गत निजी विद्यालय को 90 दिनों पहले पोर्टल पर फीस और पुस्तक संबंधित डेटा अपलोड करना अनिवार्य होता है लेकिन एक भी जानकारी नहीं दी। वहीं विभाग ने 31 दिसंबर 2025 तक विभिन्न मदो में ली जाने वाली फीस की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए थे। परंतु उसका भी पालन नहीं

किया गया, और ढील पौल करते हुए 30 अप्रेल तक का समय बढ़ा दिया। मगर एक भी जानकारी निजी विद्यालय की पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई। इसका यही अर्थ है कि, निजी विद्यालय के संचालको की मनमानी टॉप पर चलती है और सरकारी शिक्षा विभाग की देखरेख में लापरवाही स्पष्ट दिखाई देती है।

सरकारी तंत्र फेल होते हैं तभी तो निजीकरण को शक्ति प्राप्त होती है, प्रदेश में समस्त सरकारी स्कूल में समय के अनुरुप व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है। इसीलिए निजी विद्यालय गुणवत्ता और सुविधाएं दिखाकर मनमानी रकम वसूलकर लेती है। देश में सबसे अधिक सरकारी स्कूल और शिक्षक मध्यप्रदेश में है, और पूरे देश में मध्य प्रदेश तीसरा प्रदेश है जहां अत्यधिक संख्या में विद्यालय नए विद्यार्थियों के प्रवेश से वंचित रहा है। रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में 7217 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक ही है, और उसी एक शिक्षक के विश्वास में वह स्कूल चल रहे हैं। इसी प्रकार आंकड़ो की माने तो मध्यप्रदेश में पहली कक्षा से 12वी कक्षा तक के एक लाख 22 हजार सरकारी स्कूल है, इन स्कूलों में करीब सात लाख शिक्षक पदस्थ है। देखा जाए तो यह आंकड़ा देश में सर्वाधिक है, मगर व्यवस्थाएं लचर होने से प्राइवेट स्कूल बाजी मार जाते हैं और सरकारी तंत्र का मुंह लटका रहता है।

दुरस्त ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल अभी भी अभाव में चल रहे हैं, बहुत से प्राथमिक स्कूल ऐसे है जिनमें बच्चों की संख्या 9 से 10 ही है, वहां सुविधाओं का अभाव है, उनके माता-पिता अक्सर वहीं के शिक्षको से कहते हैं कि, हम अपने बच्चों को बिना सुविधा के नहीं पढ़ाएगे। बहुत से स्कूल ऐसे है जहां बारिश में छत टपकती है, जहरीले जानवर स्कूलों के कोने में, बाथरुम में घुस जाते हैं। बहुत से स्कूलों में पहुंचने की समस्या समान रुप से होती है जहां बारिश के मौसम में तो समस्या विकराल रुप लेकर शिक्षक और विद्यार्थियों को नहीं आने देती। ऐसे में असुविधा वाली स्कूलों में माता-पिता कैसे अपने लाडले-लाडली को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजेगें।

सरकारी शिक्षण संस्थान भी लापरवाही के कारण गर्त में दिखाई दे रहा है और निजी स्कुलों पर शिक्षा विभाग की ढीली पकड़ से शिक्षा की गति उसके स्तर पर अत्याधिक प्रभाव पड़ रहा है। अब अधिकारी का कहना है कि, निजी विद्यालय ने जानकारी नहीं अपलोड की तब उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। इस पर समस्त अभिभावकों का प्रश्न यह है कि, क्या सिर्फ जुर्माना वसूलने से निजी स्कूलों के कारण होने वाली सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। विभाग किस तरह इन विद्यालयों पर नजर रखेगा कि, कौन सी दिशा में विद्यार्थियों को शिक्षा की गति मिल रही है, जो शिक्षा दी जा रही है वह राष्ट्रहीत में अनुकूल है भी या नहीं।

रिकेश बैरागी

हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता और उसमें सुधार के लिए प्रदेश सरकार ने इस वर्ष बजट में 3 हजार करोड़ से अधिक का आवंटन दिया है। वहीं सरकार सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के प्रयास में निरंतर अग्रशील है।

बहरहाल, किसान खेत में कितना भी उन्नत बीज डाल दे और उस पर ध्यान नहीं देगा तब फसल निश्चत ही खराब होगी। इसी तरह शिक्षा विभाग को बच्चों में शिक्षा के स्तर को ऊपरी दिशा देनी है तो निजी विद्यालयों को अधिनियम के अन्तर्गत जानकारी अपलोड करवाने पर जोर दिया जाना चाहिए। साथ ही देरी करने वाले या मनमानी करने वाले विद्यालय संचालको पर उचित कठोर कार्रवाई करवाना चाहिए।

कांग्रेस ने युवा चेहरे पर जताया भरोसा, विक्रम डोडियार बने जिला अध्यक्ष

माही की गूंज, झाबुआ।

मध्यप्रदेश आदिवासी विकास परिषद् (युवा प्रभाग) ने संगठन विस्तार के तहत निर्णय लेते हुए युवा नेता विक्रम डोडियार को आदिवासी विकास परिषद युवा प्रभाग का झाबुआ जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति परिषद् के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रदेश आदिवासी विकास परिषद अध्यक्ष (युवा प्रभाग) नरेन्द्र सिंह सैयाम मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद उपाध्यक्ष पूर्व विधायक जेवियर मेडा की सहमती से की गई।

नियुक्ति पत्र आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक जेवियर मेडा एवं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता साबिर फिटवेल द्वारा सौंपा गया। पदाधिकारियों ने इसे संगठन में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

विक्रम डोडियार मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं और अपनी मेहनत ईमानदारी व संगठन के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। लंबे समय से सामाजिक व संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय डोडियार की नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है।

इस नियुक्ति पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, विधायक विक्रांत भूरिया, वीर सिंह भूरिया जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रांका, प्रदेश महासचिव निर्मल मेहता, पूर्व विधायक बाल सिंह मैंडा, शंकर सिंह भूरिया, बबलू कटारा, नटवर डोडियार, नर्वेश अमलियार, साबिर फिटवेल, जसवंत भाभर, आनंद चौहान, राकेश सहित कई जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने बधाई दी।

नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विक्रम डोडियार ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी ने जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। शीघ्र ही संगठन विस्तार कर जिलेभर में सक्रिय टीम का गठन किया जाएगा और अधिक से अधिक युवाओं को जोड़कर पार्टी की रीति-नीति से अवगत कराया जाएगा।

सुनीता अलावा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की अध्यक्ष मनोनीत

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी संगठन मंत्री संजय कामले प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया विधायक विक्रांत भूरिया जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रांका प्रदेश महासचिव निर्मल मेहता की सहमति से महिला कांग्रेस नेत्री सुनीता अलावा को कांग्रेस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है

पदाधिकारियों ने इसे संगठन में महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

महिलाओं की समस्या के समाधान में हमेशा अग्रणी रहने वाली महिला कांग्रेस संगठन के प्रति समर्पण के लिए हमेशा जानी जाती हैं। जो लंबे समय से सामाजिक व संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय महिला नेत्री सुनीता अलावा की नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है।

धर्म ध्वजा लहराकर की महाआरती

माही की गूंज, झाबुआ।

जिले के एक मात्र पश्चिम मुखी श्री योगेश्वर धाम स्थित श्री योगेश्वर महादेव मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के अंतर्गत दो दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। सप्तम वार्षिक ध्वजारोहण के निमित्त प्रथम दिवस मंगलवार को संगीतमय,हनुमान चालीसा पाठ, सार्वजनिक हनुमान चालीसा सेवा समिति द्वारा 226 वा पाठ किया गया एवं महाआरती का आयोजन किया गया। द्वितीय दिवस बुधवार को सुबह छः बजे अभिषेक, एवं पुजन कर विजय मुहुर्त मे ध्वजारोहण के मुख्य लाभार्थी सोहनलाल मोहनलाल नाहर परिवार के वंशज एडवोकेट चिराग, देवेन्द्र, योगेन्द्र नाहर परिवार, एवं सह लाभार्थी, द्वय श्रीमती मंगला नरेन्द्र पोतदार, एवं पुष्पेन्द्र , शैलेन्द्र शर्मा द्वारा पंडित श्री प्रकाशचंद्र त्रिवेदी के मार्गदर्शन व भक्तों की उपस्थिति मे सम्पन्न हुआ।

डेटोनेटर लगाकर सेना की ट्रेन रोकने का मामला, आरोपी दोषी

माही की गूंज, खंडवा। रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर लगाकर सेना की विशेष ट्रेन को रोकने के सनसनीखेज मामले में खंडवा रेलवे कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी साबिर उर्फ शब्बीर को कुल 6 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस फैसले को रेलवे सुरक्षा से जुड़े मामलों में कड़ा संदेश माना जा रहा है।

यह घटना 18 सितंबर 2024 की है, जब जम्मू-कश्मीर से कर्नाटक जा रही सेना की विशेष ट्रेन को डोंगरगांव और सागफाटा स्टेशन के बीच अप ट्रैक पर लगाए गए डेटोनेटर के फटने के बाद रोकना पड़ा था। घटना के बाद रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया था। मामले में तत्कालीन वरिष्ठ खंड अभियंता (रेलपथ) आशुतोष कुमार की शिकायत पर रेल सुरक्षा बल थाना खंडवा में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

जांच के दौरान घटनास्थल से डेटोनेटर के फटे हुए टुकड़े और खोखे बरामद किए गए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि घटना पूर्व नियोजित थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुफिया एजेंसियां जैसे आईबी, एनआईए और राज्य की एटीएस भी जांच में शामिल हुईं। सभी एजेंसियों ने मिलकर तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया।

जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया, जब रेल सुरक्षा बल के श्वान दस्ते के डॉग 'जेम्स' ने करीब 8 किलोमीटर तक सर्चिंग कर संदिग्ध तक पहुंचने में मदद की। इस सुराग के आधार पर आरोपी की पहचान हुई, जो कि रेलवे का ही एक ट्रैकमैन निकला। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिससे पूरे मामले का खुलासा हो सका।

अदालत ने आरोपी को रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम की धारा 3 (अ) के तहत 3 वर्ष, रेल अधिनियम की धारा 174(सी) में 1 वर्ष तथा धारा 151 के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाओं को मिलाकर कुल 6 वर्ष की सजा निर्धारित की गई है, साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले के खुलासे और दोषसिद्धि में निरीक्षक संजीव कुमार, जांच अधिकारी अरविंद कुमार सिंह, एएसआई जगदीश नेहेते और वरिष्ठ लोक अभियोजक अजय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा श्वान दस्ते के 'जेम्स' का योगदान भी सराहनीय रहा, जिसकी मदद से आरोपी तक पहुंचना संभव हो सका।

नगर के होनहार छात्र ने किया कमाल, 14 जिलों में रहे अव्वल

माही की गूंज, पेटलावद। जिले के पेटलावद क्षेत्र के होनहार छात्र अमन गोपाल पाड़ियार ने जेई मेंनस परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.1 पर्सेंटाइल हासिल किया है। खास बात यह है कि अमन गोपाल पाड़ियार 14 जिलों में अव्वल रहे हैं, जिससे उनकी उपलब्धि और भी खास बन गई है। उनकी इस सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और उन्होंने अपने परिवार व जिले का नाम रोशन किया है। अमन गोपाल पाड़ियार, जो पेटलावद के निवासी हैं, ने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति के दम पर यह सफलता हासिल की। उल्लेखनीय है कि अमन ने बिना किसी बड़े कोचिंग संस्थान के, घर पर रहकर ही जेई मेंनस की तैयारी की और यह शानदार मुकाम हासिल किया। अमन ने बताया कि, उन्होंने नियमित अध्ययन, ऑनलाइन संसाधनों और स्वयं के नोट्स के माध्यम से तैयारी की। कठिन विषयों पर विशेष ध्यान देने और लगातार अभ्यास करने से उन्हें यह सफलता मिली। अमन पाड़ियार के माता-पिता ने उनकी इस सफलता पर गर्व व्यक्त किया और कहा कि, उन्होंने हमेशा अपने बेटे को मेहनत करने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए प्रेरित किया। शिक्षकों ने भी अमन की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अब अमन जेई एडवांस की तैयारी में जुट गए हैं और उनका लक्ष्य देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान में प्रवेश प्राप्त करना है। उनकी सफलता से क्षेत्र के अन्य छात्रों को भी प्रेरणा मिलेगी।

हजरत ओढ़ी वाले बाबा के उर्स का 21 से होगा आगाज

माही की गूंज, पेटलावद।

सर्वधर्म समभाव, अमन-चैन और कौमी एकता की जीवंत मिसाल शहंशाह-ए-पेटलावद हजरत ओढ़ी वाले बाबा रे.अ. (दादाजी) के 23वें सालाना जश्न-ए-उर्स का आगाज इस वर्ष अंजुमन कमेटी की सरपरस्ती में अगले महीने की 21 मई गुरुवार से होगा। पंपावती नदी के पावन तट पर स्थित हजरत के आस्ताने पर 23 मई तक चलने वाले इस तीन दिवसीय उर्स में मध्यप्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में जायरीन शिरकत करेंगे और अपनी मन्नतों की पूर्ति के लिए अकीदत पेश करेंगे। उर्स के दौरान दरगाह परिसर में रूहानी माहौल के बीच विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

उर्स की तैयारियों को लेकर शुक्रवार रात को अंजुमन कमेटी एवं समाजजनों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से आदिल खान को सदर नियुक्त किया गया, जबकि अरबाज खान एवं अकबर कुरैशी को उपसदर बनाया गया। सेक्रेटरी पद पर सलमान शेख को यथावत रखा गया है। अंजुमन कमेटी सदर जावेद लोदी सहित अन्य पदाधिकारियों एवं समाजजनों ने इन नियुक्तियों पर सहमति व्यक्त करते हुए सभी को मुबारकबाद दी। अंजुमन कमेटी के सदर जावेद लोदी ने बैठक में कहा कि उर्स को आपसी भाईचारे, अमन-चैन और सौहार्द के वातावरण में मिलजुलकर मनाया जाए।

सर्वधर्म आस्था का केंद्र, देशभर से पहुंचते हैं जायरीन

पंपावती नदी के किनारे स्थित यह दरगाह न केवल मुस्लिम समाज बल्कि अन्य धर्मों के लोगों के लिए भी आस्था, शांति और सौहार्द का प्रमुख केंद्र मानी जाती है। यहां आयोजित होने वाले उर्स में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं। उर्स के दौरान रात्रि में कव्वाली की महफिल सजेगी, जिसमें देश की नामचीन कव्वाल पार्टियां हजरत की शान में कलाम पेश करेंगी।

324 वर्ष पुरानी दरगाह, पूरी होती हैं जायज मन्नतें

हजरत ओढ़ी वाले बाबा की यह दरगाह लगभग 324 वर्ष पुरानी और ऐतिहासिक धरोहर मानी जाती है। यहां हर जाति और धर्म के लोग अपनी जायज तमन्नाओं

को लेकर आते हैं और मुराद पूरी होने पर अकीदत के फूल चढ़ाते हैं। उर्स की रौनक बढ़ाने के लिए कई बुजुर्ग एवं सूफी संत भी यहां तशरीफ लाते हैं। बाबा के आस्ताने का नूरानी और चिश्ती स्वरूप हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। उल्लेखनीय है कि विगत 22 वर्षों से यहां नियमित रूप से उर्स का आयोजन किया जा रहा है और इस वर्ष भी उर्स पूरे शानो-शौकत के साथ मनाया जाएगा।

शौच के लिए रुके युवक की बाइक ले उड़े बदमाश

माही की गूंज, करवड़। अरूण पाटीदार

करवड़ क्षेत्र के खाखरापाड़ा में एक युवक की लापरवाही और बदमाशों की फुर्ती के कारण बाइक चोरी की वारदात सामने आई है। गंगाखेडी पंचायत के ग्राम खाखरापाड़ा में अनिल पिता दयाराम सोलंकी अपनी बाइक एमपी 45 जेडए 0445 लेकर सुबह करीब 6 बजे खाखरापाड़ा से गुजर रहा था। इसी दौरान वे सड़क किनारे बाइक खड़ी कर शौच के लिए गए। युवक की बड़ी चूक यह रही कि, वह हड़बड़ी में गाड़ी की चाबी हैंडल में ही लगी छोड़ गया। दो अज्ञात बदमाशों ने जैसे ही बाइक को अकेला और चाबी लगा हुआ देखा, वैसे ही उनमें से एक आरोपी बाइक स्टार्ट कर मांडन की तरफ तेजी से भाग निकला। अनिल ने जब अपनी आंखों के सामने गाड़ी चोरी होते देखी, तो उन्होंने तुरंत राहगीर से सहायता लेकर बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन तेज रफ्तार आरोपी पलक झपकते ही उनकी पहुंच से दूर निकल गए। काफी तलाश के बाद भी जब बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा, तो पीड़ित ने करवड़ चौकी प्रभारी को शिकायती आवेदन देकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और वाहन बरामदगी की गुहार लगाई है।

स्थाई समाधान नहीं: अतिक्रमण के नाम पर नगरपालिका का हर बार एक नया ढकोसला

बस स्टैंड से विजय स्तम्भ और थांदला गेट से आगे नही बढ़ती अतिक्रमण मुहिम

माही की गूंज, झाबुआ। मुजम्मिल मंसुरी

जिला मुख्यालय की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ जिला मुख्यालय की नगरपालिका की व्यवस्थाएं ना काफी साबित हो रही है। जिला मुख्यालय पर मुख्य बाजार दिन ब दिन सकड़ा होता जा रहा है, तो शहर में दो पहियां व चार पहियां वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन ना तो जिला मुख्यालय की नगरपालिका के पास ढंग की वाहन पार्किंग है और ना ही अस्थाई अतिक्रमण को हटाने की कोई पुख्ता कार्य योजना। जब भी दबाव पड़ता है नगरपालिका का अतिक्रमण हटाने वाला अमला माथा उतारनी करने के लिए गिनी-चुनी जगह कार्रवाई करने पहुंच जाता है। नतीजा कुछ ही दिनों में स्थिति ढाक के तीन पात साबित हो जाती है।

वैसे तो जिला मुख्यालय के चारों ओर अतिक्रमण की बाढ़ आई हुई है। मेघनगर नाका, राजगढ़ नाका, मौजीपाड़ा यह शहर के ऐसे स्पार्ट है जहां अतिक्रमणकारी दिन दुनी और रात चौगुनी रफ्तार से अतिक्रमण कर रहे है। जिला मुख्यालय का मुख्य बाजार भी इससे अछूता नहीं है। बाजार में लगने वाली स्थाई दुकानें अपनी हद से बाहर आकर सड़क पर करीब 3 से 5 फिट तक नजर आती है। क्षेत्र में ग्रीष्मकाल का यह सीजन आदिवासी समाज में शादी-ब्याह का सीजन माना जाता है और इस दौरान जिला मुख्यालय के बाजार में जमकर भीड़ देखी जाती है। यही वह समय भी है जो नगरपालिका की पोल खोलकर रख देता है। होली और शीतला सप्तमी से शुरू होने वाली यह शादी-ब्याह की सीजन बारिश के पहले तक चलती है। जिला मुख्यालय पर बाजारों में खरीदी करने के लिए भीड़ भी इसी समय में उमड़ती है, लेकिन जिला मुख्यालय पर व्यवस्थाओं के नाम पर ना तो कोई स्थाई पार्किंग व्यवस्था है और ना ही बाजार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई कार्य योजना। नतीजा यह होता है कि, इन दिनों पूरे जिला मुख्यालय के बाजारों की स्थिति गंभीर और अव्यवस्थाओं से भरी पड़ी मिलती है।

ऐसी स्थिति में जब-जब नगरपालिका पर दबाव शिकायतों का दबाव या आला अधिकारियों का दबाव पड़ता है तो फिर नगरपालिका का अतिक्रमण हटाओ दस्ता माथा उतारनी करने के लिए नगर में निकलता है। नगरपालिका की अतिक्रमण हटाओ टीम इस काम की शुरूआत हर बार बस स्टैण्ड से ही करती है। यहां लगने वाले छोटे फल विक्रेताओं के ठेले हर बार इनका निशाना बनते है। नगरपालिका ही यह अतिक्रमण हटाओ मुहिम हर बार उन्ही स्थानों पर जाती है जहां वह हमेशा ही अतिक्रमण हटाने पहुंचती है। बस स्टैंड से लेकर विजय स्तम्भ तक अतिक्रमण मुहिम चलाई जाती है। इसमें अतिक्रमण नाम मात्र का ही हटाया जाता है। अधिकांश लोगों को सिर्फ अतिक्रमण हटाने की समझाईश भर ही दी जाती है। मगर नगरपालिका की इस अतिक्रमण मुहिम पर हर बार सवालिया निशान ही खड़े होते नजर आते है।

पिछले दिनों फिर एक बार नगरपालिका से अतिक्रमण मुहिम के नाम पर एक जिन्न निकला और गरीबों के ठेलों पर कार्रवाई करते हुए उनकी रोजी-रोटी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। जबकि शहर के मुख्य बाजार में अतिक्रमण की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय और बद से बदत्तर होती दिखाई देती है। मुख्य बाजार सहित रूनवाल बाजार, सुभाष मार्ग, टॉकिज गली में भी हाल, बेहाल है। नगरपालिका का अमला इस ओर कभी निकलने की हिमाकत नहीं करता। कारण यह है कि, यहां सारे व्यापारी समृद्ध और आर्थिक स्थिति से मजबूत तथा नगरपालिका में बैठे भामाशाहों के संबंधों व संपर्क वाले है।

बस स्टैंड और आसपास में अपनी दुकानें लगाने वाले गरीब फल विक्रेताओं का कहना है कि, नगरपालिका हमेशा इसी क्षेत्र में अतिक्रमण मुहिम चलाकर इतिश्री कर लेती है और हम गरीबों का नुकसान करती है। इसके अलावा वे कभी बड़े व्यापारियों और बड़े अतिक्रमणकर्ताओं की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। हर बार नगरपालिका का अमला हम छोटे व्यापारियों को ही निशाना बनाता है, लेकिन आजतक नगरपालिका ने इस समस्या का कोई ठोंस समाधान नहीं निकाला है। अगर नगरपालिका हमें कोई अच्छी जगह दुकान लगाने के लिए दे, दे तो फिर हम इस तरह रास्तों पर अतिक्रमण ही क्यों करेंगे...?

एक फल विक्रेता के अनुसार नगरपालिका की यह अतिक्रमण कार्यवाही भेदभाव पूर्ण होती है। जहां एक तरफ शहर के मुख्य बाजार में व्यापारियों ने पक्के व स्थाई अतिक्रमण कर रखे है, वहां नगरपालिका के जिम्मेदार अतिक्रमण हटाने की जुर्रत तक नहीं करते। वहीं दूसरी ओर हम जैसे गरीब लोगों पर ज्यादती करते हुए अतिक्रमण हटाया जाता है और हमारा नुकसान भी किया जाता है। हम गरीब लोग बाजार में ठेला लगाकर अपनी जीवीका चलाते है। जब-जब नगरपालिका, अतिक्रमण के नाम पर हम पर कार्रवाई करती है तब-तब लगभग सप्ताह भर हमारी दाल-रोटी के लाले पड़ जाते है। शहर में और भी जगह अतिक्रमण पसरा पड़ा है लेकिन नगरपालिका सिर्फ हमें ही टारगेट कर हमारा नुकसान करती है।

एक ठेला व्यापारी ने बताया कि, विडम्बना यह है की हमारे ठेले को नगरपालिका अतिक्रमण कहकर हटा रही है। वह उसी ठेले के हर रोज बैठक पर्ची के नाम पर 20 रुपए तक वसूलती है। नगरपालिका को चाहिए कि, यदि वह हमें अतिक्रमण मानती है तो फिर बैठक शुल्क भी लेना बंद कर दे। और यदि बैठक शुल्क लेती है तो फिर हमें इस समस्या का स्थाई समाधान तलाश कर दें। ताकि आए दिन नगरपालिका की इस अतिक्रमण मुहिम का हमें शिकार ना होना पड़े।

फल विक्रेताओं के अनुसार एक तरफ तो नगरपालिका हमारे फल-फ्रुट के ठेले को अतिक्रमण बता रही है लेकिन वहीं दूसरी ओर सिद्धेश्वर मंदिर रोड पर खुद नगरपालिका ने अतिक्रमण कर गुमटियां लगाकर अवैध तरीके से बैच दी है। जबकि पहले यहां भी अतिक्रमण के नाम पर गरीब व्यापारियों को परेशान किया जाता रहा है। अब जहां नगरपालिका ने गुमटियां लगाकर बैची है, वह गुमटी मालिक भी नियम कायदों को ताक में रखकर करीब 5-5 फीट रोड़ पर अपनी दुकानें सजा रहे है। इसको लेकर कभी नगरपालिका ने कोई मुहिम नहीं छेड़ी। वो कहते है ना कि, अपनी मां को डाकन कौन कहे...!

लोग सोशल मीडिया पर भी नगरपालिका की इस तरह की अतिक्रमण कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे है। लोगों का कहना है कि, आखिर क्या वजह है की नगरपालिका की अतिक्रमण मुहिम बस स्टैण्ड से लेकर विजय स्तम्भ और इधर थांदला गेट से आगे क्यों नहीं बढ़ती...? पिछले कुछ वर्षों में यह देखने में भी आया है कि, नगरपालिका अपनी अतिक्रमण मुहिम केवल इसी क्षेत्र में चला रही है। जबकि अतिक्रमण का काला साया तो पूरे जिला मुख्यालय पर है। ऐसी स्थिति में लोगों का सवाल करना तो जायज ही है। नगरपालिका को अगर निष्पक्षता दिखानी है तो फिर उसे शहर में पसरे पड़े अन्य क्षेत्रों के अतिक्रमण को भी देखना और हटाना ही होगा, खासकर नगर के मुख्य बाजार से। यहां एक बात है की सिर्फ अतिक्रमण हटाने भर से व्यवस्थाएं सुचारू नही होंगी इसके लिए सही कार्य योजना का होना बहुत जरूरी है। शहर के अलग-अलग हिस्सों में वाहन पार्किंग की स्थाई व्यवस्था करनी होगी। छोटे ठेला व्यापारियों को व्यवस्थित स्थान पर जगह देनी होगी। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी जरूरी है। सबसे बड़ी बात नगरपालिका को भेदभावपूर्ण रवैये को छोड़ना होगा, यदि ऐसा नही होता है तो फिर नगरपालिका पर उठने वाले सवालों को सही माना जाएगा।

मांगो को लेकर गौ भक्तों और संतों ने सौंपा ज्ञापन

मांग पूरी नहीं होने पर जुलाई में बड़े आंदोलन की तैयारी

माही की गूंज, पेटलावद।

भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला रही वेदलक्षणा गौमाता को संवैधानिक संरक्षण दिलाने और उन्हें राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग अब राष्ट्रव्यापी अभियान का रूप ले चुकी है। इसी कड़ी में गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत पेटलावद तहसील के समस्त गौभक्तों, साधु-संतों और प्रबुद्ध नागरिकों ने एकजुट होकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार अंकिता भिड़े को सौंपा। आंदोलन की शुरुआत स्थानीय शंकर मंदिर पर भारी संख्या में गौप्रेमियों के एकत्र होने से हुई, जहाँ गौमाता और नंदी बाबा की प्रेरणा से संचालित इस अभियान के उद्देश्यों पर चर्चा की गई। मंदिर परिसर से एक विशाल रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची। इस दौरान पूरा मार्ग गौ माता की जय और गौवंश संरक्षण के नारों से गुंजायमान रहा। तहसील कार्यालय पहुंचने पर आयोजित सभा में डॉ. सुखराम कतीजा ने ज्ञापन का वाचन किया। ज्ञापन में इस बात पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया गया कि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद आज भी देशी गौवंश सड़कों पर दुर्घटनाओं, तस्करी और भूख का सामना कर रहा है। राष्ट्रपति को संबोधित इस पत्र में मांग की गई कि, गौवंश को राष्ट्रमाता या राष्ट्र आराध्या के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए और इसके लिए एक समर्पित केंद्रीय गौसेवा मंत्रालय की स्थापना हो। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि, विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी गौवंश को विधिक व्यक्ति मानने की अनुशंसा की है, अतः अब समय आ गया है कि, संपूर्ण भारत में एक समान और कठोर केंद्रीय कानून लागू किया जाए ताकि गौ-वध और तस्करी को संज्ञेय व गैर-जमानती अपराध बनाया जा सके। गौप्रेमी जीतू भाई ने बताया कि, ज्ञापन में केवल कानूनी पक्ष ही नहीं, बल्कि गौवंश के आर्थिक और सामाजिक महत्व पर भी विस्तृत सुझाव दिए गए हैं। गौभक्तों ने मांग की है कि, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर नंदीशाला और जिले में एक आदर्श गौ अभ्यारण्य स्थापित किया जाए। साथ ही, राजमार्गों पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाले पशुओं के लिए गौ-वाहिनी एम्बुलेंस और ट्रॉमा सेंटरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में गौ-विज्ञान को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने और चारे की कालाबाजारी रोकने के लिए चारा सुरक्षा कानून बनाने की बात भी प्रमुखता से उठाई गई। रैली के अंत में महेंद्र अग्रवाल ने सभी उपस्थित गौभक्तों और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के संत समाज और जागरूक नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की।

कृषि आदान व्यापारियों की देशव्यापी हड़ताल, विक्रेताओं ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

माही की गूंज ,पेटलावद।

खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेताओं की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर आज झाबुआ जिला खाद, बीज, दवाई विक्रेता संघ के बैनर तले व्यापारियों ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल रखी। एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन (एआईडीए) के आह्वान पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कृषि दुकानें बंद रहीं। पेटलावद में तहसील अध्यक्ष राजेश पाटीदार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारी पुराना बस स्टैंड पर एकत्रित हुए, जहाँ से नारेबाजी करते हुए वे एसडीएम कार्यालय पहुँचे। यहाँ व्यापारियों ने नायब तहसीलदार अंकिता भिड़े को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में व्यापारियों ने उर्वरक कंपनियों द्वारा खाद के साथ अनुपयोगी उत्पादों की जबरन लिंकिंग को अपराध घोषित करने और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

विक्रेताओं का कहना है कि, वर्तमान में यूरिया की डिलीवरी रेल हेड पर दी जा रही है, जिससे व्यापारियों को प्रति बैग 15 से 25 रुपए का अतिरिक्त आर्थिक भार वहन करना पड़ रहा है, इसलिए खाद की आपूर्ति सीधे बिक्री केंद्र तक सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही बढ़ती लागत को देखते हुए डीलर मार्जिन को बढ़ाकर कम से कम 8 प्रतिशत करने और साथ ही पोर्टल की अनिवार्यता को केवल निर्माताओं तक सीमित रखने का आग्रह किया गया है।

कानूनी प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए संघ ने मांग की है कि, सीलबंद उत्पादों के नमूने फेल होने की स्थिति में विक्रेताओं को अपराधी के बजाय केवल गवाह माना जाए और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निर्माता कंपनी की तय हो। व्यापारियों ने कीटनाशक विधेयक 2025 के कठोर प्रावधानों को शिथिल करने, एक्सपायर्ड स्टॉक की वापसी को अनिवार्य बनाने और झूठी शिकायतों की जांच के लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित करने की भी मांग रखी है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि, यदि एक माह के भीतर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो आगामी खरीफ सीजन से पहले देश भर के व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे, जिससे होने वाले कृषि नुकसान की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

भीषण गर्मी में प्यासे मरीज के कंठ और स्टाफ बूंद-बूंद पानी को मोहताज

माही की गूंज, करवड़।

एक तरफ जहां पारा आसमान छू रहा है और भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, वहीं क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करवड़ में अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि, यहां आने वाले मरीजों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। केंद्र में पसरी इस बदहाली के कारण दूर-दराज से आने वाले ग्रामीण और प्रसूताएं भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अस्पताल के बाहर लगा वाटर कूलर महीनों से सूखा पड़ा है और उसमें पानी तक नहीं भरा गया। केंद्र के भीतर रखे एक कैंपर में पानी तो मिला, लेकिन वह इतना गर्म था कि उसे पीना असंभव है। विडंबना यह है कि, शौचालय जैसे बुनियादी सुविधाघरों में भी पानी उपलब्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि, इस स्वास्थ्य केंद्र पर करवड़ समेत गोदडिया, मोर, घुघरी, गंगाखेड़ी और सुठवाडिया जैसे गांवों की एक बड़ी आबादी निर्भर है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में मरीज इलाज और डिलीवरी के लिए आते हैं। साथ ही टीकाकरण और अन्य शासकीय कार्यों के लिए आने वाले कर्मचारी भी दिन भर प्यासे रहने को मजबूर हैं। बीएमओ डॉ. एम.एल. चोपड़ा ने मामले की गंभीरता को स्वीकारते हुए कहा कि, वे जल्द ही समस्या का समाधान करवाएंगे और केंद्र पर पानी की केन रखवाने की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आईपीएल सट्टे को पकड़ कर जश्न में डूबी पुलिस को लुटेरों ने दी बड़ी चुनौती

दिनदहाड़े महिला के गले से चेन छीनकर फरार हुए बाइक सवार, सीसीटीवी में कैद हुए लुटेरे

लूट की घटना के बाद महावीर कालोनी में जमा हुए लोग।

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद पुलिस ने आईपीएल सट्टे में लिप्त आरोपियों को पकड़ कर अपनी सफलता का जश्न मना, मीडिया के सामने अपनी सफलताओं का बखान कर अपनी पीठ थपथपा रही थी कि लुटेरों ने पुलिस की सफलता के सामने बड़ी चुनौती पेश कर डाली । नगर के पाश इलाके वाली महावीर कॉलोनी शनिवार शाम उस वक्त दहशत में आ गई, जब दो बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े लूट की एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक और महावीर समिति के अध्यक्ष संजय (गुड्डू) भंडारी की पत्नी निशा भंडारी अपनी पोती को कोचिंग छोड़कर घर लौट रही थीं, तभी घात लगाए बैठे लुटेरों ने उनके गले से करीब 20 ग्राम वजनी सोने की चेन झपट ली। छीनी गई चेन की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वारदात का तरीका देखकर स्पष्ट है कि, आरोपियों ने पूरी रेकी की थी। सीसीटीवी फुटेज में पल्सर बाइक पर सवार दो संदिग्ध बदमाश वारदात से पहले क्षेत्र में चक्कर लगाते हुए कैद हुए हैं। घटना शाम करीब 4:15 बजे की है, जिसके तुरंत बाद आरोपी माधव कॉलोनी की गली से होते हुए श्रद्धांजलि चौक और फिर बामनिया की ओर तेजी से फरार हो गए। सूचना मिलते ही टीआई निर्भयसिंह भूरिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बारीकी से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने परिजनों के साथ मिलकर पूरे रास्ते के सीसीटीवी कैमरों की जांच की है, जिसमें बदमाशों का हुलिया नजर आ रहा है।

इससे पहले भी इसी गली में एक व्यक्ति से मोबाइल और कड़ा लूटने की घटना हो चुकी है। इस घटना ने दिन दहाड़े हुई लूट से नागरिकों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। लगातार बढ़ते अपराधों ने पुलिस प्रशासन के सामने कड़ी चुनौती पेश कर दी है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और गश्त बढ़ाने की मांग की है।

रायपुरिया थाना क्षेत्र में भी व्यापारी के साथ हुई लूट

शनिवार को नगर में हुई लूट की वारदात की अभी जांच ठीक से शुरू हुई भी नहीं थी कि, रविवार सुबह रायपुरिया थाना क्षेत्र में एक और बड़ी सनसनीखेज वारदात हो गई। सुबह करीब 7:30 बजे रायपुरिया पुलिया के पास तीन बाइकों पर सवार होकर आए नकाबपोश बदमाशों ने एक बकरा व्यापारी को घेर लिया। बदमाशों ने चाकू की नोक पर व्यापारी को डरा धमका कर उस से 76 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि, सुबह हुई इस लूट की वारदात के बावजूद शाम 4 बजे तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी।

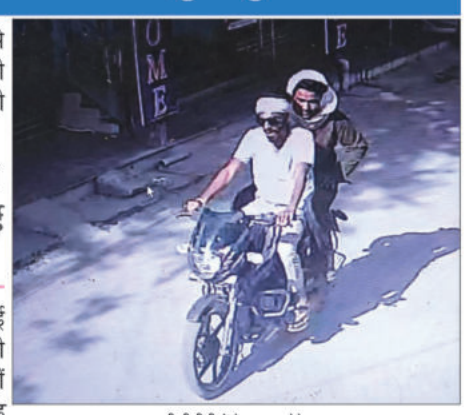

सीसीटीवी में कैद हुए लुटेरे।

जब इस संबंध में रायपुरिया टीआई गीता जाटव से जानकारी चाही गई, तो उनका तर्क बेहद अजीबोगरीब था। उन्होंने बताया कि, पीड़ित खाना खाने गया है, उसे बुलाया गया है। दो दिनों में हुई दो वारदातों के बाद पुलिस प्रशासन भी सकते में है और अब पुलिस के सामने दोनों वारदातों को ट्रेस करने की चुनौती है।

संपादकीय

लद्दाख में नई पहल

जम्मू-कश्मीर से अलग होकर नया केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में जनाकांक्षाओं का जो उफान उठा है, केंद्र सरकार उसकी पूर्ति की दिशा में बढ़ती नजर आ रही है। बीते साल राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल किए जाने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर स्थानीय संगठन आंदोलित नजर आए थे। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के क्षेत्र के दौरे से पूर्व लद्दाख को पांच नये जिले मिले हैं। लेह और कारगिल के बाद- दो जिलों से बढ़कर सात जिलों तक का यह विस्तार इस पर्वतीय अंचल में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। निश्चित रूप से इस विशाल भू-भाग वाले, लेकिन कम आबादी वाले क्षेत्र में लोगों की सुविधा के लिए इस कदम की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। दरअसल, लद्दाख के नुब्रा, जांस्कर और चांगथांग जैसे दूरदराज के इलाकों में बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच बनाने में स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यह बाधा सिर्फ भौगोलिक ही नहीं थी, बर्फीले दिनों में स्थिति और अधिक कष्टकारी हो जाती है। इसमें दो राय नहीं कि किसी भी क्षेत्र में छोटी प्रशासनिक इकाइयां अधिकारियों को जनता के करीब ला सकती हैं। खासकर लद्दाख जैसे जटिल भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में तो यह और भी जरूरी हो जाता है। निस्संदेह, छोटी प्रशासनिक इकाइयों के चलते सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तुरंत क्रियान्वयन को सुगम बनाने में मदद मिल सकती है। सही मायनों में उपायुक्तों और पुलिस प्रमुखों की त्वरित नियुक्ति, बिना किसी देरी के सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक उत्साहजनक संकेत कहा जा सकता है। हालांकि, स्थानीय जनप्रतिनिधि संगठन नये जिले बनाने से संतुष्ट होते शायद ही नजर आएं। दरअसल, लद्दाख की चुनौतियां महज नौकरशाही तक ही सीमित नहीं कही जा सकती हैं। सही मायनों में ये राजनीतिक, आर्थिक व पर्यावरणीय भी हैं। वे जनाकांक्षाएं भी इसमें शामिल हैं जो लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद ऊंचे स्तर पर रही हैं।

यहां उल्लेखनीय है कि लेह की अस्मिता की रक्षा के लिये आंदोलन चलाने वाले संगठन, मसलन कारगिल लोकतांत्रिक गठबंधन समेत कई स्थानीय समूह, लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने और लेह-लद्दाख की संस्कृति की रक्षा के लिये इसे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग करते रहे हैं। दरअसल, वे इसके लिये संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लागू करने का आग्रह करते हैं। इस सप्ताह के अंत तक लद्दाख में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की यात्रा के दौरान स्थानीय संगठन निर्णय स्तर की वार्ता की मांग कर रहे हैं। वे विगत में हुई विभिन्न बैठकों को क्षेत्र के लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान के लिये अपर्याप्त बताते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पर्यावरणविद् व शिक्षाविद् सोनम वांगचुक, जिन्हें गत माह केंद्र सरकार ने लगभग छह माह की हिरासत के बाद रिहा किया था, ने भी शाह की यात्रा के दौरान एक रचनात्मक संवाद की जरूरत पर बल दिया है। वैसे राजग के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार गाहे-बगाहे लद्दाख के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती रही है। हालांकि, एक तथ्य यह भी है कि अभी तक लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर उसका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। बहरहाल, क्षेत्र में पर्यटन नियमों में ढील और रोजगार के अवसरों को विस्तार देना जैसे सुधार, लद्दाख की आर्थिकी को गति देने का सार्थक प्रयास जरूर कहा जा सकता है। यह भी एक हकीकत है कि नवीनतम प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर जो आशावाद है, वह तभी सार्थक साबित होगा, जब इससे समावेशी विकास, बेहतर शासन और उचित राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो पायेगी। वहीं दूसरी ओर सरकार को इस व्यापक परिप्रेक्ष्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि लद्दाख चीन सीमा से लगा रणनीतिक महत्व का क्षेत्र है। इसीलिए यहां शांति बनाये रखना और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें सितंबर, 2025 में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन को एक सबक की तरह लेने की जरूरत है। जिसके मद्देनजर लद्दाखी जनता की आकांक्षाओं को समयबद्ध तरीके से यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

आया राम-गया राम की संस्कृति और संवैधानिक पाप

लगभग साठ साल पुराना किस्सा है, जिसे भारतीय राजनीति के संदर्भ में चटखारे ले-लेकर सुना-सुनाया जाता है। हरियाणा विधानसभा में एक विधायक थे गया लाल। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे वे। एक दिन अचानक उन्हें इलहाम हुआ कि अब कांग्रेस पार्टी उनके अनुकूल नहीं है। वे कांग्रेस पार्टी छोड़कर जनता पार्टी के साथ जुड़ गये। कुछ घंटे बाद उन्हें लगा उनका यह निर्णय सही नहीं है। वे फिर अपने घर यानी कांग्रेस पार्टी में लौट आये। फिर अचानक उनके ज्ञान-चक्षु खुल गये, उन्हें समझ आया कि उनका सवेरे वाला निर्णय ही सही था। वे कांग्रेस से फिर जनता पार्टी में चले गये। एक ही दिन में तीन बार अपनी पार्टी बदलकर इन विधायकजी ने भारतीय राजनीति को एक नया मंत्र भी दे दिया और यह भी समझा दिया कि 'जनता की सेवा करने के लिए' राजनीति में इस तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं! पर उनके अपने साथी यह मानने को तैयार नहीं थे कि किसी राजनेता को जनता की सेवा के लिए पार्टी बदलनी जरूरी लग सकती है। वे यह मानते थे कि इस तरह के निर्णय अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते नेता लोग लेते हैं। गया लाल नामक उन विधायक जी के नाम पर देश की राजनीति को एक मंत्र मिल गया- आया राम, गया राम!

साठ साल पहले शुरू हुई राजनीतिक स्वार्थ की यह प्रवृत्ति तब एक अपवाद थी, अब यह जैसे आम बात है। नवीनतम उदाहरण कल तक 'आम आदमी पार्टी' के प्रखर नेता कहलाने वाले सांसद राघव चड्ढा का है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे राघव चड्ढा। पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रह चुके थे। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा की सदस्यता भी दी। फिर उनके ज्ञान-चक्षु खुल गये। उन्हें लगा जिस भारतीय जनता पार्टी को वे 'अनपढ़ गुंडों की पार्टी' मानते थे वह वास्तव में भारतीयों की सच्ची सेवा करने वाली पार्टी है और उन्होंने घोषणा कर दी कि वह आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। यह इलहाम अकेले राघव चड्ढा को ही नहीं हुआ, वे अपने साथ आम आदमी पार्टी के छह सांसदों को भी ले गये। राज्यसभा के सभापति ने बिना कुछ देर किये इन्हें सदन में भाजपा के सदस्य के रूप में मान्यता भी दे दी है। राघव चड्ढा की पुरानी पार्टी यदि चाहे तो वह 'अपने सदस्यों' को इस कार्रवाई और भाजपा में उनके 'विलय' को चुनौती दे सकती है। पर दल-बदलुओं का अबतक का इतिहास तो यही बताता है कि भले ही उच्चतम न्यायालय दल-बदल की इस प्रक्रिया को 'संवैधानिक पाप' की संज्ञा दे दे, पर इन कथित पापियों को कोई सजा मिलती नहीं!

'दलबदलुओं' को सजा देने की कोशिशों में एक कोशिश दल-बदल के खिलाफ कानून बनाना भी था। वर्ष 1985 में देश की संसद में एक संशोधन पारित कर के दल-बदल की इस लगातार बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाये गये। तय हुआ कि पार्टी के दो तिहाई सदस्य मिलकर यदि किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, तभी इसे 'विलय' माना जायेगा, अन्यथा ऐसा करने वाले नेता की सदस्यता निरस्त मानी जायेगी। पर पेच यह रह गया कि दो-तिहाई संख्या पार्टी की या संसदीय दल की? इसमें एक गांठ यह भी है कि विलय का निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। इसका मतलब यह है कि सदस्य जब चाहे सत्तारूढ़ पार्टी का 'आया राम' बन सकता है।

सवाल यह उठता है कि कोई आया राम या गया राम क्यों अपनी मूल पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होता है? क्या सचमुच यह कोई नीतिगत निर्णय होता है या फिर इसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ होते हैं?

भारत के दल-बदलुओं का इतिहास बताता है कि लगभग शत प्रतिशत राजनीतिक स्वार्थ होता है। अक्सर इस आशय के आरोप भी लगते हैं कि अपने अपराधों के पाप धोने, या फिर सत्तारूढ़ दल के हितों को दृष्टि में रखकर भी 'आयाराम गयाराम' का यह खेल होता है। यह खेल खेलने वालों की आधिकारिक संख्या बतानी तो मुश्किल है, पर ज्ञात तथ्यों के अनुसार 1985 में दल-बदल विरोधी कानून लागू होने के बाद से अब तक सैकड़ों सांसद और विधायक दल-बदल चुके हैं। कहते हैं कानून बनने से पहले 1967 से 1971 के बीच लगभग 50 प्रतिशत विधायकों ने अपनी पार्टी बदली थी, इसे 'आयाराम, गयाराम' की राजनीति कहा गया।

मार्च 2024 तक की रिपोर्ट के अनुसार दसवीं अनुसूची के तहत कम से कम सात प्रमुख अवसरों पर सदस्यों पर कार्रवाई हुई है। सन 2022 में हमने महाराष्ट्र और गोवा में दल-बदल का यह 'खेला' देखा, इससे दो साल पहले मणिपुर के तीन विधायकों को अयोग्य ठहराया गया था। और अब यह आम आदमी पार्टी का मामला सामने है। निश्चित रूप से यह सारे मामले इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारी राजनीति में सिद्धांतों और नीतियों के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है। कभी विधायक या सांसद अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसा कदम उठाता है और कभी राजनीतिक दल (पढ़िए सत्तारूढ़ पक्ष) अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे दलों के सदस्यों को अपने साथ जुड़ने के लिए बाध्य करता है।

स्वार्थ के इसी खेल के संदर्भ में अक्सर यह आरोप लगते हैं कि सत्तारूढ़ दल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विभाग आदि का डर दिखाकर अपने हित साधता है। इस तरह के आरोपों की पुष्टि आसान नहीं होती। लेकिन विपक्ष के इस आरोप की जांच तो होनी ही चाहिए कि दल-बदल करने वाले राजनेताओं के विरुद्ध चल रहे मामले अचानक कहीं खो क्यों जाते हैं या फिर अक्सर ऐसी कार्रवाई के बाद ही कोई राजनेता आयाराम गयाराम क्यों बन जाता है?

बहरहाल, दल-बदल की इस सारी राजनीति का एक पक्ष और भी है। राघव चड्ढा और उनके दलबदलू साथी कल तक भारतीय जनता पार्टी के कटु आलोचक थे। क्या यह बताना उनका कर्तव्य नहीं है कि इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि उन्हें भाजपा अचानक इतनी अच्छी पार्टी लगने लगी कि वे 'गया राम' बन गये?

विश्वनाथ सचदेव

राजनीतिक जनतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता अथवा प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा या संसद में भेजते हैं। उनके चुनाव का आधार सिर्फ व्यक्ति-विशेष ही नहीं होता, मतदान उस विचार के पक्ष-विपक्ष में भी होता है जिसे जानने-मानने का दावा राजनीतिक दल करते हैं। क्या दल-बदल करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों का यह दायित्व नहीं होना चाहिए कि वह उस मतदाता को भी विश्वास में लें जिसने उन्हें चुना है? कोई कानून इस आशय का भी बनना चाहिए जो मतदाता के 'अधिकार' को संज्ञान में ले। कुछ ऐसी व्यवस्था भी है, जो यह निर्धारित करे कि दल-बदल करने वाले निर्वाचित व्यक्ति को अपने मतदाता से भी पहले पूछना पड़े। निर्वाचित व्यक्ति को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह अपना विचार बदल सके, पर उसका यह कर्तव्य भी बनता है कि वह दल बदलने से पहले मतदाता के निर्णय का सम्मान करते हुए पद से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़े।

सवाल राजनीतिक दलों के लिए भी है उन्हें भी बताना होगा कि कल तक जो व्यक्ति उनके लिए अस्वीकार्य था, भ्रष्ट आचरण का आरोपी था, आज किस वाशिंग मशीन में धुल कर साफ-सुथरा हो गया है। जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास का यही तकाजा है।

तस्वीरों में जिंदगी का हर रंग उकेरने वाले छायाकार

मौत का और तस्वीर के क्षण का कोई ऐतबार नहीं,कहीं भी मिल सकते हैं'- हमेशा कैमरा अपने साथ रखने की वजह इस एक पंक्ति में बताने वाले विश्वप्रसिद्ध छायाकार, पद्मश्री से सम्मानित 83 वर्षीय रघु राय गत 26 अप्रैल की सुबह इस फानी दुनिया को अलविदा कह गये। रघु राय के भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं रहने की दुरूखद मनोस्थिति में यह लेख लिखा जा रहा है किन्तु अपनी गहन दृष्टि से क्लिक की गयी तस्वीरों के जरिये वे अदृश्य रूप से हमेशा बने रहेंगे। उनकी उपस्थिति उनकी हर क्लिक की गयी हर तस्वीर के उस फ्रेम में है जहां सत्य है, हर उस प्रकाश में जहां करुणा है, हर उस कैमरे में जहां ईमानदारी है।

बिना किसी प्रशिक्षण अपने जीवन की पहली तस्वीर एक गधे की क्लिक करने वाले रघु राय ने उपकरण मात्र माने जाने वाले कैमरे को समर्पण, सूझबूझ और सतत साधना के बल पर संवेदना,सत्य और समय का ऐसा साक्षी बनाया कि उनकी क्लिक की गयी तस्वीरें देश के जनमानस में हमेशा गहरे छायी रहेंगी। दिल्ली की गलियों से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक, राजनीति से लेकर जनजीवन तक, और अध्यात्म से लेकर मानवीय संघर्ष तक उनकी तस्वीरें जनता की सामूहिक याद?दाश्त है।

पंजाब के एक आम नौकरीपेशा परिवार के रघु राय ने आजीविका के लिए सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक साल सरकारी नौकरी भी की। रचनात्मक सोच के चलते सरकारी नौकरी में तयशुदा ढर्रे पर चलना मुनासिब न समझा तो नौकरी छोड़ अपने बड़े भाई के पास दिल्ली आये। संयोग से बड़े भाई से कैमरा लेकर भाई के मित्र के साथ उनके गांव गये। गांव में गधे के एक छोटे बच्चे की तस्वीर लेने की कोशिश की तो वह भाग गया। रघु राय ने उसका पीछा किया। थक-हारकर जब वो बच्चा रुका तो तुरंत तस्वीर खींच ली। यही तस्वीर वर्ष 1965 में लंदन टाइम्स में छपी तो सिविल इंजीनियर रघु राय रातोंरात स्टार फोटोग्राफर रघु राय हो गये, प्रारब्ध शायद इसी को कहते हैं।

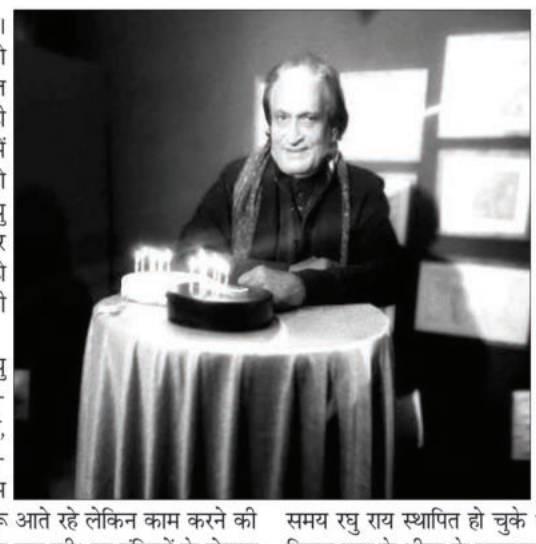

छह दशक तक रघु राय और कैमरा एक-दूसरे के पर्याय बने रहे, काम के दम पर इज्जत-शोहरत, इनाम-इकराम उनकी झोली में स्वतरू आते रहे लेकिन काम करने की जिजीविषा अंतिम सांस तक रही। इन पंक्तियों के लेखक के मन-मस्तिष्क में 2023 की वे स्मृतियां घुमड़ रही हैं, जब रघु राय ने अपने पचास से ज्यादा सालों से मित्र हिम्मत शाह का 90वां जन्म?दिन नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में मनाया था। नब्बे के हिम्मत शाह व अस्सी के रघु राय-दोनों के पास उम्र के इस दौर में भी काम करने की इतनी योजनाएं कि बीस साल भी कम पड़ें। दोनों युवाओं जैसे उत्साह से लबरेज। रघु राय का उपरोक्त कथन 'मौत का और तस्वीर के क्षण का कोई ऐतबार नहीं,कहीं भी मिल सकते हैं', तीन साल से कम समय में ही उन्हीं पर फिट हो गया। दो मार्च, 2025 को हिम्मत शाह का निधन हो गया और ठीक तेरह माह बाद 26 अप्रैल, 2026 को रघु राय चले गये।

रघु राय कालजयी फोटोग्राफर के साथ-साथ बेहतरीन इंसान थे। हिम्मत शाह से उनकी दोस्ती उस समय हुई जब हिम्मत शाह के सितारे गर्दिश में थे। हिम्मत शाह का काम कला के बाजार में बिकता नहीं था और फटेहाली में सुबह-शाम खिचड़ी खाकर काम चलाते थे जबकि उस समय रघु राय स्थापित हो चुके थे। रघु राय की दृष्टि ने हिम्मत शाह के भीतर के कलाकार और बेहतर इंसान को जान लिया था। दोस्ती परवान चढ़ी और ताउम्र बनी रही। हिम्मत शाह के अनन्य प्रशंसक बिहार म्यूजियम के डायरेक्टर अंजनी कुमार सिंह ने 2019 में उनका जन्मदिन मनाने का फैसला किया व हिम्मत शाह से पूछा कि किस-किस को बुलाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि रघु राय और ज्योति शाह। वजह दोस्ती तो थी ही, उससे भी बड़ी वजह थी कि हिम्मत शाह मानते थे कि आजादी के 25-30 साल बाद के बदलते भारत, ग्रामीण भारत के दस्तावेजीकरण का काम रघु राय और ज्योति शाह ने जिस शिद्दत से किया, वह उन्हें नमस्कार करते हैं। हिम्?मत शाह और रघु राय जब साथ होते तो उनके पास ढेर-सी योजनाओं के अलावा संस्मरणों की पूरी पोटली होती।

राजेंद्र शर्मा

अपने फन के शीर्ष पर पहुंच कर भी अहंकार से कोसों दूर रघु राय की सौम्यता व मुस्कुराता चेहरा पूर्ववत बना रहा। वह हर क्षण कैमरे के लैंस के साथ बतियाते-से लगते जैसे हर क्षण को सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि उसे उसकी सम्पूर्ण संवेदना संग जी रहे हैं। वाराणसी के ख्यात फोटोग्राफर रघु राय को याद करते हुए कहते हैं कि लगभग चार दशक तक उन्होंने काशी को अपने कैमरे में बार-बार उतारा। घाटों की भोर, गलियों की धड़कन, साधुओं की समाधि, उत्सवों का उल्लास, श्मशान की निस्तब्धता और जनजीवन की सहजता, काशी के हर रंग को उन्होंने अमर कर दिया।

कैमरे के पीछे एक तपस्वी की तरह कार्य करने वाले रघु राय वस्तुतरू एक व्यक्ति नहीं ,विश्वविद्यालय थे। उन्होंने सिखाया कि अच्छा फोटोग्राफर बनने से पहले अच्छा मनुष्य बनना जरूरी है। 'पहले देखना सीखो, फिर क्लिक करना।' उनका कैमरा आंख से पहले हृदय से संचालित होता है।

निरूसंदेह, रघु राय जैसा दिव्य दृष्टि संपन्न फोटोग्राफर सदी में एक ही पैदा होता है। रघु राय का इस फानी दुनिया से जाना अपूरणीय क्षति कहने भर के लिए नहीं, असल में इस क्षति की भरपाई कभी नहीं हो सकती।

मुफ्त की राजनीति से अकर्मण्य होती पीढ़ी

पिछले दिनों तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी तथा पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों को लेकर खासी गहमागहमी रही। बाकी राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और पश्चिम बंगाल में अब दूसरे चरण का मतदान बाकी है। हर दल अपनी-अपनी जीत के लिए उत्साहित है। बड़ी-बड़ी घोषणाएं भी की जाती रही हैं कि अगर हम चुनाव में जीते, तो महिलाओं के खाते में हर माह, या हर साल इतने हजार ट्रांसफर करेंगे। युवाओं को इतना पैसा देंगे। किसानों का बिजली का बिल माफ कर देंगे। ये देंगे, वो देंगे।

यानी कि मुफ्त की रेवड़ियों का बाजार लगा रहा है। इस हाथ वोट दो, उस हाथ ये लो। यानी कि वोट की कीमत कैश या काइंड में मापी जा रही है। सत्तर के दशक में महिलाओं-पुरुषों को साड़ियां, धोतियां बांटकर, ट्रांजिस्टर देकर, वोट देने से पहले की रात नकदी देकर काम चला लिया जाता था, लेकिन अब हजारों रुपये भी कम पड़ जाते हैं। इस दल ने हमें यह दिया है, दूसरा दल अगर उससे ज्यादा दे रहा है, तो बस वोट उसी को। फिर मान लीजिए पिछले इलेक्शन में अगर इतना रुपया मिला था, इस बार भी उतने का ही वादा हो, तो क्या खास दिया। ज्यादा दो, तो कुछ बात बने। इस लालच को बढ़ाने में अधिकांश राजनीतिक दल बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वे जानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता आदि का कोई मतलब नहीं, लोगों को असली मतलब इस बात से होता है कि सरकार उन्हें मुफ्त में क्या दे रही है।

याद है हमें कि नब्बे के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद, जब पूर्वी यूरोप के समाजवादी गुट में शामिल देश एक-एक करके टूट रहे थे, तो मशहूर मीडिया पर्सनेलिटी प्रणय राय ने एक कार्यक्रम में कहा था कि नाउ देअर विल बी नो फ्री लंच। यानी कि अब मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। इन देशों के गिरने के पीछे यही कारण बताया जाता था कि यहां की आर्थिक स्थिति को वहां की सरकारों ने ही लोगों में मुफ्त सब कुछ पाने की आदत डालकर, तबाह कर दिया था। इसलिए वे समाजवादी होते हुए भी पूंजीवाद के सामने एक-एक करके धराशायी हो गए। हमारे यहां जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सबने इन स्थितियों को देखा है। बैठकर खाने के मुकाबले परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, ये भी जानते ही हैं।

यों भी दुनिया में कुछ मुफ्त नहीं मिलता। हो सकता है जिसे दलों द्वारा मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है, वह उसकी कीमत न चुका रहा हो, लेकिन कीमत तो चुकानी ही पड़ती है, चाहे तरह-तरह के कर देकर देश की जनता चुकाए या सरकारें विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने कटोरा लेकर चले जाएं। मगर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण भी ब्याज समेत चुकाने ही पड़ते हैं, इन संस्थाओं की कठोर शर्तें भी माननी पड़ती हैं। वे भी देश की जनता के ही सिर होते हैं।

दरअसल, कोई भी सरकार तो कुछ कमाती नहीं है। वह तो लोगों से ही वसूलती है। यह बात अलग है कि अपने देश में जो टैक्स देते हैं, सरकारों की नजर में वे सोने की अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं। जितना चाहो निचोड़ो। आम तौर पर ये लोग मध्यवर्ग के होते हैं क्योंकि अमीर लोग तो सारी सुख, सुविधाओं, लाखों-करोड़ के मालिक होने के बावजूद, बेचारे अपना ऋण नहीं चुका पाते और सरकारें उन पर रहम करके माफ कर देती हैं। लेकिन मध्यवर्ग करदाता के लिए शायद ही किसी दल के पास कोई योजना हो। ये लोग अपनी मेहनत से पढ़-लिखकर नौकरियां प्राप्त करते हैं, ऋण लेकर घर बनाते हैं, शादी-ब्याह अपने खर्चे से करते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन कोई इनकी सुध नहीं लेता, क्योंकि मान लिया गया है कि यह तो सम्पन्न वर्ग है। इसे किसी सरकारी सहायता की जरूरत नहीं। इसकी जेबों से पैसा निकालकर सरकारें वोट बटोरने के लिए लोकप्रियतावादी, जिसे अंग्रेजी में पॉपुलिज्म कहते हैं, का रास्ता अपनाती हैं। वोटर्स के लिए तरह-तरह की ऐसी मुफ्त की योजनाएं लाई जाती हैं, जिनसे सरकारी खजाना खाली होता जाता है। राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से परहेज नहीं करतीं।

हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि बहुत सारी राज्य सरकारों के खजाने खाली हैं। उन पर लाखों करोड़ का कर्ज है, कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं हैं जैसा कि कुछ दिन पहले हमने हिमाचल प्रदेश में देखा था, लेकिन वोटर भगवान वोट दे दे, इसके लिए खजाना खाली होता रहे, तो क्या हुआ। लोग कहते हैं कि दलों का वश नहीं चलता वर्ना वे वोटर्स को सूरज, चांद और आसमान को भी मुफ्त में बांट दें।

पिछले साल बिहार के चुनाव से पहले अड़तीस हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। हालत यह हो गई थी कि वहां की सरकार के पास जरूरी खर्चों के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। एक अनुमान के अनुसार विभिन्न सरकारों द्वारा महिलाओं के लिए जो मुफ्त की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी राशि एक लाख, अड़सठ हजार, चालीस करोड़ तक पहुंच सकती है। किसी जमाने में 'अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम' को उन लोगों को निंदा के रूप में सुनाया जाता था, जो कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब तो लगता है कि सरकारें ही इसके लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

केंद्र सरकार ने चाहे इस पर चिंता व्यक्त की हो, लेकिन सिर्फ चिंता से कुछ नहीं होता, क्योंकि दलों को चुनाव जीतने का यही आसान सा रास्ता लगता है। ऐसे में देश में कुछ न हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में धन के अभाव में रोड़े अटक जाएं, किसी को क्या फर्क पड़ता है। सच तो यह है कि इन मुफ्त की रेवड़ियों की कीमत अंततः जनता को ही चुकानी पड़ती है।

उच्चतम न्यायालय बार-बार इस बारे में अपनी अप्रसन्नता प्रकट कर चुका है, मगर 'स्वारथ-लागि करें सब प्रीती' के इस दौर में न नेता सुनते हैं, न जनता। नेताओं का स्वार्थ वोट और जनता का स्वार्थ मुफ्त में सब कुछ।

क्षमा शर्मा

अपने देश में बताया जाता है कि अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त में वर्षों से राशन मुफ्त दिया जा रहा है। इसका नतीजा यह है कि अब गांवों में भी लोग काम नहीं करना चाहते। गांव में रहने वाले एक मित्र ने बताया था कि चूंकि तरह-तरह की सरकारी योजनाओं से लोगों को बिना कुछ किए पैसे भी मिल रहे हैं और खाने-पीने की सुविधाएं, तो अब युवा काम नहीं करना चाहते। वे दिनभर मटरगश्ती करते हैं। बहुत से जुआ आदि खेलते हैं। चूंकि काम नहीं तो खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए लड़ाई-झगड़ा, हत्या यानी कि अपराधों का ग्राफ भी बढ़ रहा है। गांव में अब मजदूर भी नहीं मिलते।

एक तरह से ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जिसके मुंह मुफ्त की रेवड़ियों का स्वाद लग चुका है। फिर यदि एक बार आप किसी को मुफ्त की सुविधा का स्वाद चखा दें, तो फिर उसे आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता। वापस लेते ही हारने की तैयारी हो जाती है। इसीलिए बहुत से नेता निजी बातचीत में इन मुफ्त की सुविधाओं से असहमति व्यक्त करते हैं, मगर खुलेआम अगर कुछ कहें तो जानते हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाएगा।

सोनम रघुवंशी पर मर्डर की धारा ही नहीं लगी

हत्या के आरोप में नहीं दिखाई गई गिरफ्तारी, अब जेल से आएगी बाहर

इंदौर।

इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड ने एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली है। करीब 11 महीने से जेल में बंद मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने अपने आदेश में जो टिप्पणियां की हैं, उन्होंने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है और जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

अदालत ने अपने आदेश में सबसे बड़ी बात यह कही कि, सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी से जुड़े सभी दस्तावेज गिरफ्तारी मेमो, निरीक्षण मेमो, अधिकारों की सूचना मेमो और केस डायरी इन सभी में जिस कानूनी धारा का उल्लेख किया गया, वह अस्तित्व में ही नहीं है। पुलिस द्वारा दिखाए गए दस्तावेजों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 403(1) लिखी गई थी। लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई धारा मौजूद ही नहीं है। यह कोई छोटी-मोटी गलती नहीं मानी गई, बल्कि अदालत ने इसे गंभीर लिपिकीय त्रुटि से भी आगे की बात माना। यही नहीं, जिस हत्या के आरोप में सोनम को गिरफ्तार किया गया, वह बीएनएसएस की धारा 103(1) के तहत बताया गया, लेकिन यह धारा भी उन दस्तावेजों में कहीं दर्ज नहीं थी जो गिरफ्तारी के समय सोनम को दिखाए गए थे। कानून के मुताबिक, किसी भी आरोपी को यह बताया जाना अनिवार्य होता है कि उसे किस अपराध और किस धारा के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन इस मामले में यही मूल प्रक्रिया पूरी तरह से नजरअंदाज होती दिखी।

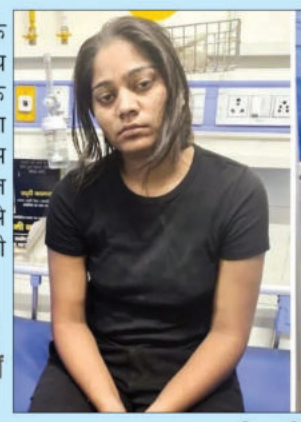

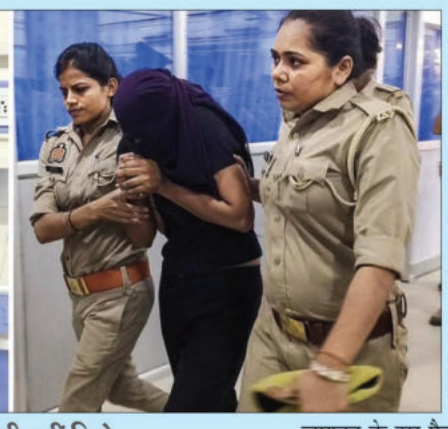

क्लेरिकल एरर का तर्क भी नहीं चला

पुलिस ने अदालत में यह दलील दी कि यह सिर्फ एक क्लेरिकल एरर यानी लिपिकीय गलती थी। लेकिन शिलांग की अदालत ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत का मानना था कि यह कोई साधारण गलती नहीं है, बल्कि इससे आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को यह ही नहीं बताया गया कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह अपने बचाव का अधिकार कैसे इस्तेमाल करेगा? अदालत ने यहां तक कह दिया कि आरोपी को गिरफ्तारी के प्रभावी और वैध कारण नहीं बताए गए, इसलिए पूरी गिरफ्तारी प्रक्रिया ही अवैध मानी जाएगी।

वकील भी नहीं मिले

अदालत ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया। आदेश में कहा गया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि सोनम को गिरफ्तारी के बाद वकील की सुविधा दी गई थी। जब उसे पहली बार गाजीपुर अदालत में पेश किया गया, तब भी यह स्पष्ट नहीं था कि उसे कानूनी सलाह का अवसर मिला या नहीं।

जमानत पर शर्तें भी लागू

हालांकि अदालत ने जमानत दी है, लेकिन इसके साथ कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। सोनम रघुवंशी बिना अदालत की अनुमति के शिलांग जिले से बाहर नहीं जा सकेंगी। यह शर्त इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और जांच एजेंसियों की नजर इस पर बनी हुई है।

राजा के परिवार वाले गुस्से में

जमानत के इस फैसले के बाद मृतक राजा रघुवंशी के परिवार में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि यह फैसला उनके लिए बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की जानकारी परिवार से साझा नहीं की, जिसका फायदा आरोपी पक्ष ने उठाया। विपिन ने साफ कहा कि वे इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे और जमानत रद्द कराने की मांग करेंगे।

मां का दर्द और आरोप

राजा की मां उमा रघुवंशी का गुस्सा भी खुलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्हें कानून पर भरोसा था, लेकिन अब उनका विश्वास टूट गया है। उमा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में पैसों का खेल हुआ है और न्याय प्रभावित हुआ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आरोपी पक्ष के लोगों के बीच आपसी सांठगांठ है और दूर तक लेनदेन हुआ है।

पिता और भाई ने भी उठाए सवाल

मृतक के पिता अशोक रघुवंशी ने भी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें अब सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। वहीं भाई सचिन रघुवंशी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने फिल्मों में सुना था कि कानून अंधा होता है, लेकिन अब उन्हें इस पर यकीन हो गया है।

क्या है पूरा मामला?

इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी सोनम से 11 मई को हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए थे। 23 मई को राजा अचानक लापता हो गए। कई दिनों की तलाश के बाद 2 जून को उनका शव पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा (चेरापूंजी) में एक गहरी खाई से बरामद हुआ। बाद में सोनम ने 8 जून को गाजीपुर में आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने इस मामले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई।

सुखासागर महाराज का प्रथम समाधि दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया

माही की गूंज, मंदसौर।

सकल दिगंबर जैन समाज, मन्दसौर के तत्वावधान में परम पूज्य मुनिराज 108 श्री सुखासागर जी महाराज का प्रथम समाधि दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस पावन अवसर पर नाकोड़ा नगर स्थित 'आचार्य सन्मति कुंज' संत भवन में श्आचार्य सन्मतिसागर विधानश् का भव्य आयोजन किया गया।

यह धार्मिक अनुष्ठान गुरु मां आर्यिका रत्न 105 श्री समर्थ श्री जी एवं सार्थक श्री माताजी के मंगल सानिध्य में संपन्न हुआ। डॉ एसएम जैन ने बताया कि कार्यक्रम प्रातः से प्रारंभ होकर 9. 30 बजे तक चला। कार्यक्रम के दौरान विशेष पूजा-अर्चना, शांति धारा और गुरु भक्ति के कार्यक्रम हुए। आयोजित विधान विधानाचार्य पंडित विजय कुमार गांधी के द्वारा संपन्न कराया गया। विधान में प्रमुख रूप से सपत्नी डॉक्टर एस एम जैन सहित कुलथाना परिवार के अन्य सदस्य एवं समाज जन ने विधान में सम्मिलित होकर धर्म लाभ लिया।

आर्यिका 105 समर्थ श्री माताजी ने आयोजित धर्म सभा में मंगल प्रवचनों में वर्तमान जीवनशैली पर गहरा प्रहार करते हुए धर्म और स्वास्थ्य के अंतर संबंधों को रेखांकित किया। माताजी ने कहा कि आज हमारी दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो चुकी है, जिसके कारण बीमारियां हमें घेर रही हैं। यदि नींव ही कमजोर होगी, तो समाज की उन्नति संभव नहीं है।

माताजी ने शुद्धि पर जोर देते हुए कहा कि केवल शरीर ही नहीं, बल्कि मुख शुद्धि के उपरांत ही मंदिर प्रवेश करना चाहिए। उन्होंने गिरती पाचन शक्ति का कारण बताते हुए कहा कि खान-पान में मयार्दा का अभाव ही रोगों की जड़ है। सुबह उठते ही भगवान का नाम ले और मुख में जमा रात भर की लार को पानी के साथ शरीर में उतारे। पुराने समय में गन्ने (कपड़े) से छानकर पानी पीने की परंपरा थी, जो स्वास्थ्य और अहिंसा दोनों दृष्टि से उत्तम थी।

पानी की एक बूंद में असंख्य जीव होते हैं। अनछना पानी पीकर हम अनजाने में ही जीवों की हत्या के भागी बनते हैं। यदि हम आज किसी जीव की रक्षा करेंगे, तो वही जीव किसी अन्य जन्म (भव) में हमारी रक्षा का निमित्त बनेगा। माताजी ने कहा कि सामूहिक पापों से बचकर प्रभु की आराधना में मन लगायें।

चाचा भतीजे का इंटरस्टेट गैंग...

ग्वालियर।

मध्यप्रदेश में ग्वालियर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां ई-रिक्शा, बस और ऑटो में महिलाओं को निशाना बनाकर चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 8 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं।

यह गैंग मुरैना के चाचा-भतीजे द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो राजस्थान, दिल्ली और आगरा की विधवा व आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर वारदातों में शामिल करते थे। गैंग बेहद शातिर तरीके से काम करता था।सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं के पास बैठकर झटके का फायदा उठाते हुए उनके पर्स और बैग से गहने व नकदी चोरी कर लेती थीं और अगले स्टॉप पर फरार हो जाती थीं।

मोबाइल लोकेशन के आधार पर कार्रवाई

पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुरैना और बानमोर में दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि गैंग ने ग्वालियर समेत कई जिलों और राज्यों में दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ कर रही है और चोरी के सामान की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यात्रा के दौरान सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

दरअसल ग्वालियर रेंज में लगातार ई-रिक्शा और ऑटो में हो रही चोरी की वारदातों से पुलिस परेशान थी। डबरा में एक महिला यात्री के पर्स से गहने और नगदी चोरी की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए पुलिस डबरा बस स्टैंड पहुंची। वहां संदिग्ध दो महिलाओं को फरियादी ने पहचान लिया। पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उनके मोबाइल की जांच की। मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने बानमोर और मुरैना में दबिश दी। यहां से गैंग के सरगना वकीला उर्फ सोनू, ललित उर्फ सोनू, गुड्डू आदिवासी समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

महिला यात्रियों को करते थे टार्गेट

पूछताछ में सामने आया कि गैंग को मुरैना के चाचा-भतीजे संचालित कर रहे थे। सरगना ने बानमोर में एक मकान किराए पर ले रखा था। वहीं गैंग की महिलाओं को रखा जाता था। गैंग में राजस्थान, दिल्ली और आगरा की विधवा व आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को शामिल किया गया था। इन्हें रोजाना ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, आगरा और दिल्ली तक वारदात के लिए भेजा जाता था। गैंग की महिलाएं बेहद शातिर तरीके से वारदात करती थीं। ये ई-रिक्शा, बस या ऑटो में टारगेट महिला यात्री के आसपास बैठ जाती थीं। वाहन में गड्ढा आने पर जब झटका लगता, उसी दौरान ये महिलाएं होशियारी से यात्री के बैग या पर्स से गहने और नकदी पार कर देती थीं। चोरी के तुरंत बाद अगले स्टॉपेज पर उतर जाती थीं और गैंग की दूसरी महिलाओं को चोरी का सामान थमाकर फरार हो जाती थी।

महिलाओं से 3 दिन की रिमांड पर पूछताछ

पुलिस ने बताया कि गैंग की अधिकांश महिलाएं आदिवासी हैं, लेकिन सरगना के कहने पर वह अपनी पहचान श्बाबरियाश् या श्मोंगियाश् बताती थीं। ऐसा पुलिस को गुमराह करने के लिए किया जाता था। गैंग की लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज ग्वालियर के हजीरा, गोला का मंदिर, मुरार, लश्कर क्षेत्र में 17, इसके अलावा शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, आगरा और दिल्ली में भी वारदात की हैं। पुलिस को आशंका है कि गैंग ने महीनेभर में दर्जनों वारदात की हैं।

फिलहाल पुलिस, सरगना और महिलाओं से तीन दिन की रिमांड पर पूछताछ कर रही है। चोरी के गहने कहां खपाए, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सार्वजनिक वाहनों में सफर के दौरान अपने बैग-पर्स का विशेष ध्यान रखें और संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें।

कलेक्टर ने नीट परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में आगामी 3 मई 2026 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर कलेक्टर अदिती गर्ग व पुलिस अधिकक्षक विनोद कुमार मिना ने मंगलवार को विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने केंद्रीय विद्यालय मंदसौर, पीजी कॉलेज, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए पेयजल, छांव, टेंट, टेबल-कुर्सी तथा कक्षाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने परीक्षा की पारदर्शिता एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, कक्षाओं में पंखों की व्यवस्था, स्वच्छ व कार्यशील वॉशरूम तथा दरवाजे-खिड़कियों को व्यवस्थित रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उल्लेखनीय है कि नीट परीक्षा 2026 का आयोजन 3 मई 2026 को दोपहर 2रू00 बजे से 5रू00 बजे तक किया जाएगा।

मंदसौर नगर में परीक्षा हेतु निम्नलिखित केंद्र निर्धारित किए गए हैं- लाल बहादुर शास्त्री शासकीय उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्टेशन रोड, महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधी चौराहा, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, मंदसौर, राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय, महू-नीमच रोड। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित किया जाए तथा सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण की जाएं।

सीसीटीएनएस रैंकिंग में प्रदेश में हासिल किया प्रथम स्थान

माही की गूंज, रतलाम।

रतलाम पुलिस ने डिजिटल पुलिसिंग और आधुनिक तकनीक के बेहतर क्रियान्वयन में बड़ी सफलता हासिल की है। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा जारी वर्ष 2026 की मासिक रैंकिंग में रतलाम जिले ने श्एश् श्रेणी के जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार के मार्गदर्शन में जिले ने यह उपलब्धि हासिल की है।

रतलाम पुलिस ने डेटा एंट्री की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देते हुए अपनी रैंकिंग में निरंतर सुधार किया है। जनवरी 2026 में जिला तीसरे स्थान पर रहा। फरवरी 2026 में पहली बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। मार्च 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखते हुए पुनः प्रथम स्थान पर कब्जा जमाया।

डिजिटल साक्ष्य और ई-विवेचना बनी ताकत

जिले के सभी थानों में सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एफआईआर से लेकर चालान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। इसके साथ ही अन्य आधुनिक प्लेटफॉर्म्स का भी प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को सीधे साक्ष्य के रूप में सुरक्षित किया जा रहा है। टैबलेट्स के माध्यम से फील्ड स्तर पर विवेचना को डिजिटल बनाया गया है। ई-प्रॉसिक्यूशन व विधिक राय और फोरेंसिक रिपोर्ट समय पर प्राप्त होने से जांच में तेजी आई है। समंस और वारंट की तामीली अब पहले से कहीं अधिक तेज और पारदर्शी हो गई है।

इनकी मेहनत लाई रंग

जिला मुख्यालय पर पदस्थ सीसीटीएनएस की विशेष टीम इस सफलता की मुख्य धुरी रही है। इसमें प्रधान आरक्षक बलराम पाटीदार, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक दिनेश सिंह बिष्ट, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक लोमेश शर्मा एवं प्रधान आरक्षक (कंप्यूटर) सपना भाटिया शामिल हैं। यह टीम 24 घंटे थानों के साथ समन्वय कर तकनीकी समस्याओं का समाधान करती है और पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है।

वही पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कहा कि, यह उपलब्धि टीम वर्क और आधुनिक तकनीक के प्रति हमारे समर्पण का परिणाम है। सीसीटीएनएस और आईसीजेएस जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम न केवल अपराधियों तक तेजी से पहुँच रहे हैं, बल्कि न्याय प्रणाली को भी पारदर्शी बना रहे हैं।

सनातन धर्म के जनक हैं आदि गुरु शंकराचार्यजी

माही की गूंज, मंदसौर।

मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर में आदि गुरु शंकराचार्यजी पर व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महेशानंदजी महाराज मेनपुरिया ने आदि गुरु शंकराचार्यजी के जीवन, दर्शन और सनातन संस्कृति में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मात्र पांच वर्ष की आयु में संन्यास लेने वाले आदि गुरु शंकराचार्यजी ने देश के चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना कर भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को मजबूत आधार दिया।

महेशानंदजी महाराज ने कहा कि अद्वैत दर्शन के माध्यम से आदि गुरु शंकराचार्यजी ने मानव जीवन को सत्य का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि ईश्वर कहीं खोया नहीं है, बल्कि वह प्रत्येक जीव और सृष्टि में विद्यमान है, उसे बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर खोजने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर भागवताचार्य पंडित प्रियांश पुरोहित ने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्यजी ने अल्पायु में पैदल देश भ्रमण कर संस्कृति को जीवित रखा और चारों दिशाओं में मठ स्थापित कर राष्ट्र को आध्यात्मिक एकता का संदेश दिया।

उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर के प्राचार्य रविंद्र कुमार दवे ने कहा कि उन्होंने उत्तर के मठ में दक्षिण भारत के पुजारी को स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समरसता का संदेश दिया। सीएसपी जितेंद्र सिंह भास्कर ने कहा कि हमें समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए तथा सनातन मूल्यों को जीवन में अपनाना चाहिए। कार्यक्रम में जिला समन्वयक तृप्ति वैरागी ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए अतिथियों का स्वागत किया।

15 वर्ष साथ रहे, बच्चा भी है, अब यौन उत्पीड़न का आरोप क्यों...?

भोपाल।

जब कोई रिश्ता आपसी सहमति से बना हो, तो उसमें अपराध का सवाल ही कहां उठता है...? सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला से यह सवाल पूछा। इस महिला ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसके पूर्व लिव-इन पार्टनर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया गया था। यह मामला शादी का झूठा वादा करके कथित यौन उत्पीड़न करने से जुड़ा था।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने उस मामले पर सवाल उठाया, जिसमें महिला 15 साल तक पुरुष के साथ रही और उनका एक 7 साल का बच्चा भी है।

न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया गया कि, जस्टिस नागरत्ना ने अपनी टिप्पणी में कहा, ष्जब रिश्ता आपसी सहमति से बना हो, तो उसमें अपराध का सवाल ही कहां उठता है? वे दोनों 15 साल साथ रह रहे, महिला का उस पुरुष से एक बच्चा भी है, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई। अब वह यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही है?ष

'शादी का वादा' और कानूनी उपाय

महिला के वकील ने कोर्ट को बताया कि उसके पति का पहले ही निधन हो चुका था और उसके जीजा ने ही उसकी मुलाकात आरोपी से करवाई थी।

कोर्ट को यह भी बताया गया कि आरोपी ने महिला से शादी करने का वादा किया था और उसका यौन शोषण किया था। तब अदालत ने पूछा, 'शादी से पहले ही वह उस पुरुष के साथ जाकर क्यों रहने लगी?'

अदालत ने कहा, 'वह उसके साथ रही। उससे उसका एक बच्चा भी हुआ। अब वह पुरुष रिश्ता तोड़कर चला जाता है, क्योंकि उनके बीच शादी या कोई कानूनी बंधन नहीं है। लिव-इन रिलेशनशिप में ऐसा जोखिम तो रहता ही है। इसलिए जब पार्टनर रिश्ता तोड़कर चला जाता है, तो यह कोई अपराध नहीं बन जाता।'

जब महिला के वकील ने दलील दी कि आरोपी ने अपनी पहली शादी छिपाई और शादी का झूठा वादा किया, तो बेंच ने कहा, ''अगर उनकी शादी हुई होती, तो महिला के अधिकारों का मामला ज्यादा मजबूत होता। वह दूसरी शादी के खिलाफ केस कर सकती थी। वह गुजारा-भत्ता के लिए भी केस कर सकती थी। उसे वे सभी राहतें मिल सकती थीं। लेकिन अब, जब उनकी शादी ही नहीं हुई है और वे सिर्फ साथ रह रहे थे, तो इसमें यह जोखिम तो रहता ही है. वे किसी भी दिन रिश्ता तोड़कर अलग हो सकते हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं?''

बच्चे का भविष्य और सुलह का रास्ता

उन्होंने सुझाव दिया कि महिला कुछ अन्य कानूनी उपायों का सहारा ले सकती है, जैसे कि बच्चे के लिए गुजारा-भत्ता की मांग करना। साथ ही उन्होंने दोनों पक्षों को आपसी सुलह के लिए जाने की सलाह दी।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, 'भले ही वह पुरुष जेल चला जाए, लेकिन इससे महिला को क्या हासिल होगा? हम बच्चे के लिए कुछ गुजारा-भत्ते के बारे में सोच सकते है। बच्चा अब सात साल का हो चुका है। कम से कम बच्चे के लिए कुछ आर्थिक मुआवजे का इंतजाम तो किया ही जा सकता है।''

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक नोटिस जारी किया और पक्षों से यह पता लगाने को कहा कि क्या याचिकाकर्ता और आरोपी के बीच कोई समझौता हो सकता है।

क्या है मामला?

बता दें कि यह मामला मध्य प्रदेश का है, जहां हाई कोर्ट ने पुरुष के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था। महिला ने इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। महिला का दावा था कि पति की मृत्यु के बाद आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया और यौन शोषण किया।

सीवरेज-पेयजल लाइन लीकेज से गंदे पानी की सप्लाई, पार्षदों का धरना

माही की गूंज, बड़वानी।

शहर के कालका माता मंदिर क्षेत्र में सीवरेज और पेयजल लाइनों के आपस में मिल जाने से नलों में गंदा और बदबूदार पानी आने की गंभीर समस्या सामने आई है। इस घटना से वार्डवासियों में हड़कंप मच गया और लोगों में स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। समस्या के विरोध में कांग्रेस पार्षदों ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे क्षेत्र में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

प्रदर्शन कर रहे पार्षदों ने नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यह समस्या कई दिनों से बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि गंदे पानी की सप्लाई से लोगों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है, फिर भी प्रशासन द्वारा समय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

धरने की सूचना मिलते ही नगर पालिका के इंजीनियर और अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और संबंधित सीवरेज कंपनी को तत्काल प्रभाव से लीकेज ठीक करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो।

मौके पर पहुंचे नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह जाधव ने बताया कि सीवरेज कार्य के दौरान पानी की मुख्य लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण दोनों लाइनों का पानी आपस में मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने नियमों की अनदेखी करते हुए पेयजल लाइन के बिल्कुल पास सीवरेज लाइन बिछाई, जो तकनीकी मानकों के विरुद्ध है। इस लापरवाही के चलते सीवरेज का दूषित पानी पीने के पानी में मिल रहा है, जो आम नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है।

स्थानीय निवासी कमला चौहान ने बताया कि पिछले आठ दिनों से नलों में मटमैला और बदबूदार पानी आ रहा है। उन्होंने कहा कि पानी की गंध इतनी खराब है कि उसे पीना तो दूर, घरेलू उपयोग में भी नहीं लिया जा सकता। कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

नगरवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे क्षेत्र की पाइपलाइन की तकनीकी जांच कर दोषपूर्ण हिस्सों को तुरंत बदला जाए। साथ ही जब तक समस्या पूरी तरह हल नहीं हो जाती, तब तक स्वच्छ पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

इस प्रदर्शन में पार्षद बाबू धनगर, मूजीत कुरैशी, विधायक प्रतिनिधि विष्णु बनडे, अशोक गोले, सचिन यादव, राहुल राठोर, हेमंत कुमावत और बलराम यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल रहे।

नगर पालिका प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द लीकेज को दुरुस्त कर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति बहाल की जाएगी और जिम्मेदार एजेंसी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

आंगनवाड़ी सहायिका से दुष्कर्म, चार दिन बाद मामला दर्ज

माही की गूंज, खंडवा।

जिले के मूंदी थाना क्षेत्र में एक 32 वर्षीय आंगनवाड़ी सहायिका के साथ बंधक बनाकर दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। घटना 24 अप्रैल की रात की है, जबकि पीड़िता द्वारा 28 अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता विवाहित है और दो बच्चों की मां है। वह महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र पर सहायिका के रूप में कार्यरत है। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि 24 अप्रैल की रात करीब 10 बजे से 12 बजे के बीच एक 22 वर्षीय रिश्तेदार युवक उसके घर पहुंचा। आरोपी ने उसे जबरन बंधक बना लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

पीड़िता ने बताया कि किसी तरह वह आरोपी के चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी अपने पति को दी। घटना के बाद मानसिक आघात और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते पीड़िता तुरंत शिकायत दर्ज नहीं करा सकी। चार दिन बाद, 28 अप्रैल को उसने बीड़ पुलिस चौकी पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई।

मामले में महिला उपनिरीक्षक द्वारा पीड़िता के विस्तृत बयान दर्ज किए गए, जिसके आधार पर दुष्कर्म, बंधक बनाने और आपराधिक धमकी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और बुधवार सुबह आरोपी शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है।

जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे के परिचित थे। दोनों के बीच पूर्व में संबंध होने की बात भी सामने आई है। इस संबंध की जानकारी पीड़िता के पति को पहले ही हो चुकी थी, जिसके चलते परिवार में विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। हालांकि, पुलिस का कहना है कि इस पहलू की भी जांच की जा रही है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। साथ ही, पीड़िता को आवश्यक चिकित्सीय एवं कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

महिला आरक्षण पर नगर निगम में हंगामा

माही की गूंज, खंडवा।

नगर निगम सभागृह में आयोजित सम्मेलन में महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर व्यापक चर्चा के बाद माहौल गरमा गया। बैठक के दौरान विपक्ष के असहयोग रवैये को लेकर सत्तापक्ष ने कड़ा रुख अपनाया और महापौर द्वारा प्रस्तुत निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। वहीं विपक्षी पार्षदों ने वर्ष 2023 में कानूनी रूप ले चुके महिला आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग दोहराई।

सम्मेलन की अध्यक्षता निगम अध्यक्ष एवं सभापति अनिल विश्वकर्मा ने की। बैठक में 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत संशोधन विधेयक पर विस्तार से चर्चा हुई। इस विधेयक में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था।

चर्चा के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से सामने आया कि विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका। विपक्ष की ओर से इसे परिसीमन प्रक्रिया से अलग रखने की मांग की गई, लेकिन पर्याप्त समर्थन न मिलने के कारण स्थिति गतिरोधपूर्ण बनी रही। परिषद के सदस्यों ने इसे महिला सशक्तिकरण के प्रति असहयोग की भावना बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई।

महापौर अमृता अमर यादव ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को राजनीति में समान भागीदारी देना न केवल सामाजिक न्याय का विषय है, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के प्रति असहयोग महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी है, जिसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए।

दूसरी ओर, नेता प्रतिपक्ष मुल्लु राठौर ने सम्मेलन और निंदा प्रस्ताव को राजनीतिक दिखावा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तापक्ष द्वारा जनता के बीच भ्रामक प्रचार किया जा रहा है और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास हो रहा है।

निगम अध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा ने कहा कि नगर निगम परिषद महिला सम्मान और समान प्रतिनिधित्व के समर्थन में मजबूती से खड़ी है। उन्होंने इस विषय पर राजनीतिक सहमति नहीं बन पाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सभी पक्षों से सकारात्मक पहल की अपील की।

सम्मेलन में पार्षद रोशनी गोलकर, सुनीता राठौर, मोनिका बजाज, सीमा यादव, सुवर्णा पालीवाल, स्वाति सकल्ले और रानी वर्मा सहित कई महिला जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। सम्मेलन के दौरान महिला आरक्षण के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिससे स्पष्ट हुआ कि यह विषय आने वाले समय में भी राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का केंद्र बना रहेगा।

बेकाबू ट्रेलर ने तीन वाहनों को मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला

माही की गूंज, सेंधवा। मुंबई-आगरा नेशनल हाईवे पर स्थित बिजासन घाट में बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया, जब एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रेलर ने आगे चल रहे तीन वाहनों को टक्कर मार दी। इस टक्कर के चलते कुल चार वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे में एक मिनी ट्रक पलट गया, जबकि दो लोग घायल हो गए। घटना के बाद घाट क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेलर अत्यधिक गति से घाट उतर रहा था और अचानक चालक का नियंत्रण वाहन पर से हट गया। सबसे पहले ट्रेलर ने एक मिनी ट्रक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह रेलिंग से टकराकर पलट गया। इसके बाद अनियंत्रित ट्रेलर ने पीछे-पीछे आ रहे एक अन्य मिनी ट्रक और एक स्कॉर्पियो वाहन को भी अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और सड़क पर मलबा फैल गया। हादसे के तुरंत बाद बिजासन घाट पर लंबा जाम लग गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। बिजासन चौकी प्रभारी रोहित पाटीदार ने तत्परता दिखाते हुए दो क्रेन बुलवाईं और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को पुनः सुचारू किया जा सका। दुर्घटना में घायल हुए दोनों व्यक्तियों को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। हादसे के दौरान ट्रेलर में भरा माल भी सड़क पर बिखर गया, जिससे जाम की स्थिति और गंभीर हो गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और यातायात व्यवस्था को धीरे-धीरे सामान्य किया।

ट्रेलर चालक राहुल ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि घाट से उतरते समय अचानक वाहन का ब्रेक प्रेशर खत्म हो गया था। उन्होंने वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। लगभग डेढ़ किलोमीटर तक अनियंत्रित गति से घाट उतरने के बाद ट्रेलर आगे चल रहे वाहनों से टकरा गया।

शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज, आबादी क्षेत्र से हटाने की मांग

माही की गूंज, खरगोन।

जिले के टांडाबरुड गांव में आबादी क्षेत्र के बीच संचालित देशी-विदेशी शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। गांव के रहवासियों ने इस दुकान को तत्काल प्रभाव से गांव के बाहर स्थानांतरित करने की मांग उठाई है। इस संबंध में ग्रामीणों ने संगठित होकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और समस्या के समाधान के लिए शीघ्र कार्रवाई की मांग की।

ग्रामीणों ने बताया कि यह शराब दुकान गांव के अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है, जहां आसपास मंदिर, मस्जिद सहित कई धार्मिक स्थल मौजूद हैं। इसके अलावा दुकान बस स्टैंड से सटी हुई है और पास ही आंगनबाड़ी केंद्र, बैंक तथा अन्य सार्वजनिक स्थान भी स्थित हैं। ऐसे में यहां शराब दुकान का संचालन पूरे क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल को प्रभावित कर रहा है।

ग्रामीणों के अनुसार, दुकान के कारण आए दिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और छात्राओं के लिए स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। गांव के रहवासी सोहन वर्मा ने बताया कि शराब दुकान के चलते गलियों में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है और लोग आसपास ही शराब पीकर उत्पात मचाते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार शराबी बोतलें फोड़ देते हैं, गाली-गलौज करते हैं और राह चलती महिलाओं के लिए असुरक्षित माहौल पैदा कर देते हैं।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि शाम होते ही क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जिससे बच्चों और युवाओं पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अभिभावकों ने चिंता जताई कि इस माहौल के कारण बच्चों की पढ़ाई और दिनचर्या प्रभावित हो रही है।

इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए शराब दुकान को आबादी क्षेत्र से हटाकर गांव से बाहर उचित स्थान पर स्थापित किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

शिकायत प्राप्त होने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आबकारी विभाग को आवश्यक जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि नियमों के अनुसार जांच कर उचित निर्णय लिया जाएगा, ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल कायम रह सके।

तपती धरती: कारण और समाधान

उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा व प. बंगाल जैसे राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इन राज्यों में कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक पहुंच गया है। पिछले दिनों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा हीटवेव अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी में लू चलने और तापमान में 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना को लेकर लोगों को सचेत किया है। पिछले कुछ वर्षों से लगभग हर साल गर्मी के तापमान में इजाफा होता ही जा रहा है। जीवन के लिये एकमात्र ग्रह पृथ्वी गत दो दशकों से ग्लोबल वार्मिंग का निरन्तर प्रभाव झेल रही है। इसके अलावा भी वैज्ञानिकों द्वारा भारत में तेज गर्मी के और भी कई कई कारण बताये जा रहे हैं। इन कारणों में खासकर जलवायु परिवर्तन के अलावा हीट डोम और अल नीनो प्रभाव को रेखांकित किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उच्च दबाव प्रणाली गर्म हवा को जमीन के पास फंसाकर ढक्कन की तरह काम करती है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है। परिणाम स्वरूप कम्प्रेशन हीटिंग से गर्मी और तीव्र हो जाती है। उधर पहले से हो रहा जलवायु परिवर्तन, सूखी मिट्टी और कम वनस्पति (वृक्ष कटान) इसे बढ़ावा देते हैं। इसी को हीट डोम प्रभाव कहा जाता है।

इसके अतिरिक्त ग्रीनहाउस गैसों से वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। इसने हीटवेव की तीव्रता और इसकी अवधि दोनों को ही बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि 2026 में दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 92 शहर केवल भारत में हैं। इन गर्म क्षेत्रों में केवल दिन ही नहीं बल्कि यहां की रातें भी गर्म रहती हैं। इसे सीवियर वार्म नाइट कहते हैं। यह स्थिति जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा है। साथ ही इस हीट वेव पर अल नीनो का प्रभाव भी बताया जा रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि 2026 में सुपर अल नीनो की आशंका से रिकॉर्ड गर्मी पड़ना भी संभव है। अल नीनो का प्रभाव ही प्रशांत महासागर में गर्म पानी का दौर हवाओं को कमजोर कर भारत में गर्मी और कम मानसून लाता है। इसी के साथ गर्मी को बढ़ने में अनियंत्रित शहरीकरण की भी बड़ी भूमिका है। देश में चारों ओर खेत व जंगल वृक्ष निरन्तर कम होते जा रहे हैं। और शहरीकरण के नाम पर कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा अर्बन हीट आइलैंड का प्रभाव और कंक्रीट-आधारित विकास इसके लिए खासकर जिम्मेदार हैं। यह कंक्रीट के जंगल दिन में गर्मी को सोखते हैं और रात में इसे छोड़ते हैं। उधर शहरों में होती जा रही पेड़-पौधों की कमी से वातावरण में नमी घटती जा रही है। यही वजह है कि दिल्ली व अहमदाबाद जैसे महानगरों में रातें पूर्व की तुलना में 60: अधिक गर्म होने लगी हैं। शहरों में कंक्रीट, डामर और सीमेंट की पक्की इमारतें सूर्य की गर्मी सोख लेती हैं तथा रात में धीरे-धीरे छोड़ती हैं, जिससे तापमान ग्रामीण क्षेत्रों से 5-10 डिग्री अधिक रहता है। पेड़-पौधों और हरियाली की कमी से वाष्पीकरण घटता है, जो प्राकृतिक शीतलन प्रदान करता। साथ ही वाहनों, एसी और उद्योगों से निकलने वाली गर्मी इसे और भी तीव्र बनाती है। गोया भारतीय शहरों में बढ़ता शहरीकरण बढ़ते तापमान के लिये 60: तक जिम्मेदार है। और यही तापमान वृद्धि प्रति दशक 0.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करता है। शहरीकरण ने गर्मी में 90: इजाफा किया है तथा रात्रिकालीन सतह तापमान लगभग 70-80: तक बढ़ा है। मिसाल के तौर पर जमशेदपुर में शहरीकरण ने तापमान वृद्धि में 100: योगदान दिया।

ऐसे में सबसे ज्वलंत प्रश्न यही है कि आखिर तापमान वृद्धि की जिम्मेदार हमारी वर्तमान पीढ़ी क्या अपनी आने वाली नस्लों को भी ऐसी ही या इससे भी अधिक तपती पृथ्वी देकर जायेगी या इससे बचने के कुछ उपाय करना चाहेगी ? इसके लिये सबसे पहले भारतीय शहरों में हरित आवरण को विस्तार देने की सख्त जरूरत है। हालाँकि इसके लिये अनेक सरकारी योजनाएं व स्थानीय उपाय प्रभावी हैं जोकि शहरी गर्मी कम करने में हमारी सहायता करते हैं। इसके लिये बाकायदा कार्य योजना बनाकर तथा वर्षाऋतु के आरंभ से ही सरकारी और नगर निकाय भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाये जा सकते हैं। कई राज्य इस दिशा में सक्रियता से काम भी कर रहे हैं। वृक्षारोपण को एक आंदोलन का रूप देने के लिये हर व्यक्ति अपने परिवार के शादी ब्याह,मैरिज एनिवर्सरी,बर्थडे, जन्म मृत्यु बरसी जैसे अवसरों पर वृक्षारोपण कर इन अवसरों को यादगार बनाने के साथ साथ जलवायु को बेहतर बनाने की दिशा में भी अपना कीमती योगदान दे सकता है। इसके अलावा हर व्यक्ति जहां जमीन कम हो वहां अपने घरों की छतों पर रूफ गार्डनिंग कर सकता है और वर्टिकल गार्डन भी लगा सकते हैं। अपने घरों के खुले क्षेत्र में अधिक से अधिक गमले लगाकर भी तापमान को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है तथा ताजी ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है। गौरतलब है कि कोरोना काल में जब देशभर में अचानक कोरोना प्रभावित लोगों के लिये ऑक्सीजन की कमी पैदा हुई थी उस समय लोगों को हरियाली और वृक्षारोपण की खूब याद आई थी। कई बीमार लोग तो खेतों में पेड़ों के नीचे बैठकर स्वास्थ्य लाभ लेते देखे गये। इस आपदा ने ऑक्सीजन को लेकर लोगों में इतनी जागरूकता बढ़ायी कि उसी समय से गमलों व पौधों की नर्सरी का व्यवसाय कई गुना बढ़ गया।

बहरहाल भविष्य में तापमान वृद्धि से बचने व इसके दीर्घकालिक उपाय करने के साथ साथ तात्कालिक रूप से शरीर पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव से बचाव करना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले अपने शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाना और शरीर को हाइड्रेटेड रखना सबसे जरूरी है।

निर्मल रानी

इसके लिये बहुत सारा पानी पीना चाहिये और बार बार पीना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, सत्तू व ओआरएस जैसे शीतल पेय भी शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मददगार होते हैं और डिहाइड्रेशन रोकते हैं। जीरा, धनिया या खस मिला ठंडा पानी भी इसके लिये बहुत फायदेमंद है। इसके साथ ही अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से भी बचना चाहिये। इसके साथ ही घरों में पर्दे,सनशेड आदि लगाकर धुप को रोका जा सकता है। रात के समय खिड़कियां खुली रखने,पंखा चलने व आवश्यकता हो तो गीले कपड़े पहनने या ठन्डे पानी से नहाने व पैरों को ठन्डे पानी में भिगोकर रखने से भी प्रचंड गर्मी से राहत पाई जा सकती है। इस मौसम में आहार में भी सावधानियां बरतने की जरुरत है। हल्का व पौष्टिक भोजन लेना चाहिये। जंक फूड को तो पूरी तरह नजरअंदाज करना चाहिए। इसप्रकार से धरती के इस बढ़ते तापमान का हम किसी हद तक मुकाबला कर सकते हैं।

भोजशाला विवाद में नया मोड़

माही की गूंज, धार।

जिले स्थित ऐतिहासिक स्मारक भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के सामने एक अहम दस्तावेज पेश किया है। सीनियर वकील शोभा मेनन ने दावा किया कि तत्कालीन धार रियासत की अदालत ने 24 अगस्त 1935 को एक श्ऐलानश् जारी कर इस परिसर को आधिकारिक रूप से श्मस्जिदश् घोषित किया था।

वकील शोभा मेनन ने हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी के सामने मुस्लिम समुदाय के मुनीर अहमद और अन्य लोगों की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका और रिट अपील के समर्थन में दलीलें पेश कीं।

1935 के 'ऐलान' का दावा

मुस्लिम समुदाय की ओर से पैरवी करते हुए वकील शोभा मेनन ने दलील दी कि 1935 का यह आदेश एक राजपत्र के समान था, जिसमें शर्त रखी गई थी कि भविष्य में भी यहां नमाज अदा की जाती रहेगी।

उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि इस मामले को धार्मिक चश्मे से देखने के बजाय श्कानून के स्थापित सिद्धांतोंश् और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर परखा जाए। बता दें कि ब्रिटिश राज के दौरान धार मध्य भारत में भोपाल एजेंसी के अधीन एक रियासत थी।

मेनन ने हाई कोर्ट से आग्रह किया कि वह भोजशाला विवाद को धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि कानून के सिद्धांतों के आधार पर परखे। उन्होंने विरोधाभासों की ओर इशारा करते हुए पिछले कुछ वर्षों में भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर दायर अदालती मामलों में मध्य प्रदेश सरकार और एएसआई की ओर से अलग-अलग समय पर व्यक्त की गई भिन्न-भिन्न राय का हवाला दिया।

शोभा मेनन ने कहा कि इस तरह बार-बार बदलते रुख कानून की नजर में असंगत, मनमाने और अस्वीकार्य हैं, क्योंकि सरकार से एक सुसंगत और स्थिर दृष्टिकोण अपनाने की उम्मीद की जाती है।

जनहित याचिकाओं पर सवाल

उन्होंने भोजशाला मामले में 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' नामक संगठन कुलदीप तिवारी और एक अन्य व्यक्ति की ओर से दायर दो जनहित याचिकाओं पर सवाल उठाए। इन याचिकाओं में कहा गया है कि भोजशाला असल में एक सरस्वती मंदिर है और इस परिसर में पूजा-अर्चना का अधिकार केवल हिंदुओं को ही मिलना चाहिए।

इन पीएल की स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए मेनन ने तर्क दिया कि भोजशाला विवाद को व्यापक जनहित का मामला मानना कानूनी रूप से सही नहीं है, क्योंकि यह मुख्य रूप से एक विशिष्ट धार्मिक समुदाय से जुड़ा मामला है। भोजशाला मामले में सुनवाई जारी रहेगी, हाई कोर्ट 6 अप्रैल से लगातार चार याचिकाओं और एक रिट अपील पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें इस स्मारक के धार्मिक स्वरूप को चुनौती दी गई है। हिंदू समुदाय धार जिले में स्थित भोजशाला को देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद होने का दावा करता है। यह विवादित परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है।

आगर-उज्जैन हाईवे पर किसानों का चक्काजाम

आगर मालवा।

मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में देरी और अव्यवस्थाओं से नाराज किसानों ने बुधवार दोपहर आगर-उज्जैन हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। इस दौरान सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह बाधित रहा।

प्रदर्शन का केंद्र ग्राम पालखेड़ी के पास स्थित सीतानारायण वेयरहाउस रहा, जहां समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जा रही है। किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्र पर तौल प्रक्रिया बेहद धीमी है और व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है, जिसके चलते उन्हें अपनी उपज लेकर घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। तेज धूप और गर्मी के बीच किसानों का विरोध करीब एक घंटे तक जारी रहा। इस दौरान हाईवे पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।

प्रशासन मौके पर पहुंचा

स्थिति की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया। किसानों ने मांग रखी कि खरीदी प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और तेज किया जाए ताकि उन्हें अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जल्द समाधान का आश्वासन दिए जाने के बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया और यातायात बहाल हो सका।

यूनिवर्सिटी में गेट पर मिली मटकी और लाल कपड़ा, छात्रों में दहशत

माही की गूंज, उज्जैन।

बाबा महाकाल की नगरी के प्रतिष्ठित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में सोमवार सुबह शिक्षा और सुरक्षा की धज्जियां उड़ गईं। कृषि अध्ययनशाला की नई बिल्डिंग के मुख्य गेट पर जब चौकीदार पहुंचा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।

दीवार पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था- श्तुम सब मरोगेश। पास ही जमीन पर तांत्रिक क्रिया की सामग्री जैसे मटकी, लाल कपड़ा और कुमकुम बिखरा पड़ा था। यह महज एक शरारत है या किसी सोची-समझी साजिश का हिस्सा, इसने 1100 छात्रों की नींद उड़ा दी है।

अंधेरे का फायदा और सुरक्षा में सेंध

चौकीदार आशीष जब बोरिंग चालू करने पहुंचा, तब इस खौफनाक मंजर का खुलासा हुआ। ताज्जुब की बात यह है कि जिस नई बिल्डिंग में करोड़ों की लागत से कक्षाएं शुरू हुई हैं, वहां एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। इसी श्अंधेरेश् का फायदा उठाकर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने न केवल परिसर में प्रवेश किया, बल्कि इत्मीनान से तंत्र क्रिया को अंजाम देकर दहशत का संदेश भी लिख दिया।

प्रशासन की क्रिक सफाई

घटना की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने आनन-फानन में पुताई कराकर धमकी भरे शब्दों को तो मिटा दिया, लेकिन कैंपस में जो मानसिक खौफ बैठ गया है, उसकी पुताई करना आसान नहीं है। विभागाध्यक्ष ने इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, लेकिन छात्र अब अकेले परिसर में जाने से कतरा रहे हैं।

सीसीटीवी का न होना बड़ी लापरवाही

यह घटना विश्वविद्यालय की सुरक्षा ऑडिट की पोल खोलती है। एक ओर हम स्मार्ट सिटी और डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर एक मुख्य विभाग के गेट पर सीसीटीवी का न होना गंभीर लापरवाही है। उज्जैन जैसे शहर में, जहां श्मशान और तंत्र का अपना इतिहास है, ऐसी घटनाओं को लोग जल्दी अदृश्य शक्तियों से जोड़ लेते हैं। प्रशासन को चाहिए कि वह केवल दीवार की पुताई न कराए, बल्कि आरोपियों को पकड़कर यह साफ करे कि यह किसी की सोची-समझी श्प्रैंकश् थी या कुछ और।

प्रदेश में फिर गूंजा 'माई का लाल'

भोपाल।

मध्यप्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से 'माई का लाल' बयान सुर्खियों में है। अबकी बार यह बयान पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एख कार्यक्रम के दौरान दिया है जिसके बाद सवर्ण समाज में नाराजगी है। भोपाल की लोधी पंचायत में पूर्व सीएम उमा भारती ने आरक्षण की वकालत करते हुए एक ऐसा बयान दिया है जिसने फिर से सूबे की सियासत को गरमा दिया है।

उमा भारती ने लोधी पंचायत में कहा कि, तब तक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस के बच्चे गरीबों के बच्चों के साथ एक ही स्कूल में ना पढ़ने लगे तब तक कोई माई का लाल आरक्षण छीन नहीं सकता।

उमा भारती के इस बयान को उनकी संभावित सियासी वापसी के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूरी के बावजूद, उनके हालिया तेवर यह इशारा देते हैं कि वे फिर से चुनावी और संगठनात्मक राजनीति में अपनी भूमिका तलाश रही हैं। लेकिन उनके इस बयान ने सवर्ण कर्मचारियों को नाराज कर दिया है।

सवर्णों में उबाल

मध्यप्रदेश ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अशोक पांडे का कहना है कि उमा भारती को यह बयान वापस लेना चाहिए नहीं तो कर्मचारी आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे।

2018 का इतिहास दोहराने का डर

कर्मचारी संगठनों का यह गुस्सा सत्तारूढ़ दल के लिए इसलिए चिंता की वजह बन सकता है क्योंकि इसी तरह के एक बयान ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को खासा नुकसान किया था और उसकी सरकार चली गई थी। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम के दौरान यही कहा था कि श्कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकताश।

अब पूरे 8 साल बाद यही बयान उमा भारती ने दिया है. हालांकि, मध्य प्रदेश की सियासत को नजदीक से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन का कहना है कि उमा भारती का यह बयान एक सोची-समझी रणनीति है, क्योंकि उनके पास वर्तमान में सरकार या संगठन में कोई पद नहीं है और समय-समय पर उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई है, इसलिए उनका बयान सुर्खियों में बने रहने से ज्यादा कुछ नहीं है। उमा भारती का यह रुख साफ करता है कि वो सक्रिय राजनीति में लौटने की है लेकिन चुनौती यह है कि पार्टी का मौजूदा पावर स्ट्रक्चर उन्हें कितनी अहमियत देता है।

ईडी की बड़ी कार्रवाई, 7.76 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां अटैच

इंदौर।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश के इंदौर में बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मेसर्स रुचि अक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वर्तमान नाम स्टीलटेक रिसोर्सेज लिमिटेड) की 7.76 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच (कुर्क) कर लिया है।

ईडी द्वारा बुधवार को जानकारी दी गई कि उक्त कार्रवाई यूको बैंक की इंदौर शाखा को 58 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय नुकसान पहुंचाने के मामले की जांच के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की है। ईडी द्वारा अटैच की गई इन संपत्तियों में कंपनी के नाम पर दर्ज विभिन्न औद्योगिक और आवासीय भूखंड शामिल हैं।

दरअसल, रुचि अक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके संचालकों पर यूको बैंक की इंदौर शाखा को 58 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए सीबीआई भोपाल में शिकायत दर्ज कराई थी। बैंक की शिकायत के मुताबिक, कंपनी ने फर्जी दस्तावेजों और गलत जानकारी के आधार पर करोड़ों रुपये की क्रेडिट सुविधाएं और लेटर ऑफ क्रेडिट हासिल किए थे।

सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने मामले की जांच शुरू थी, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया कि कंपनी ने बैंक से मिली भारी-भरकम राशि का उपयोग उस व्यापारिक उद्देश्य के लिए नहीं किया, जिसके लिए वह ली गई थी। रकम को सोची-समझी साजिश के तहत विभिन्न सहयोगी और समूह की कंपनियों के बैंक खातों में डायवर्ट कर दिया गया।

जांच अधिकारियों के अनुसार, फंड की लेयरिंग करने के लिए कंपनियों का एक जटिल जाल बुना गया था, ताकि पैसे के स्रोत का पता न चल सके। अंततः यह पैसा घुमा-फिराकर उन्हीं संस्थाओं के पास पहुंचा, जिन पर मुख्य आरोपियों का नियंत्रण था। इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से अवैध धन को वैध निवेश के रूप में पेश करने की कोशिश की गई थी।

ईडी की टीम ने जब पैसे के लेनदेन की जांच की, तो पाया गया कि गबन की गई इस राशि का एक बड़ा हिस्सा अलग-अलग स्तरों पर अचल संपत्तियों को खरीदने और निवेश करने में इस्तेमाल किया गया था। वर्तमान में जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, वे उन्हीं संदिग्ध लेन-देन के जरिए बनाई गई थीं।

यह इस मामले में ईडी की पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी जांच एजेंसी ने इसी प्रकरण में 10.15 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की थीं। ताजा कार्रवाई के बाद इस मामले में अब तक कुल 17.91 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। ईडी का कहना है कि मामले की गहन जांच अभी जारी है और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से लेकर फंड डायवर्जन के अन्य पहलुओं को खंगाला जा रहा है। आने वाले दिनों में कुछ अन्य बड़ी गिरफ्तारियां और संपत्तियों की कुर्की होने की संभावना जताई जा रही है।

पांचवें बच्चे का सुनकर बिफरीं मैहर कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी

मैहर। मध्य प्रदेश के नवगठित जिले मैहर की कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी इन दिनों अपने ऑन-फील्ड एक्शन और बेबाक अंदाज के कारण सुर्खियों में हैं। वे सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचीं थी, तो वहां का नजारा देख उनकी संवेदनशीलता और सख्ती का एक अलग ही रूप देखने को मिला। प्रसूति वार्ड में एक महिला द्वारा पांचवें बच्चे को जन्म देने की बात सुनकर वे दंग रह गईं और एक सुपर वुमेन की तरह समाज की दकियानूसी सोच पर प्रहार करती नजर आईं।

पांचवें बच्चे की बात सुनकर महिला को समझाया

निरीक्षण के दौरान जैसे ही मैहर कलेक्टर को पता चला कि एक प्रसूता ने अपनी पांचवीं संतान को जन्म दिया है, वे सीधे उसके बेड तक पहुंचीं। उन्होंने किसी अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक अभिभावक की तरह महिला को समझाया। कलेक्टर ने सवाल उठाया कि आज के महंगाई भरे दौर में पांच बच्चों का पालन-पोषण, उनकी उच्च शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। उन्होंने महिला से पूछा कि आखिर इतने बड़े परिवार का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा?

बदल गया है जमाना

कलेक्टर ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जमाना बदल चुका है, लेकिन समाज अब भी पुत्र प्राप्ति की चाह में उलझा हुआ है। उन्होंने खुद का और अपनी टीम का उदाहरण देते हुए समाज को आईना दिखाया। उन्होंने कहा की आज मध्य प्रदेश में 31: कलेक्टर महिलाएं हैं। मैहर की पूरी प्रशासनिक टीम महिलाओं की है। जब बेटियां हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं, तो फिर यह भेदभाव और लड़कों की ख्वाहिश क्यों?

मैदानी अमले पर बरसीं कलेक्टर

कलेक्टर की नाराजगी सिर्फ समाज तक सीमित नहीं रही, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग के मैदानी अमले एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि परिवार नियोजन के जागरूकता अभियान जमीन पर क्यों नहीं दिख रहे? कलेक्टर ने दो टूक शब्दों में निर्देश दिए कि विभाग केवल कागजी

खानापूर्ति बंद करें और जमीनी स्तर पर लोगों को छोटे परिवार के फायदों और मातृ-शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करे।

कुपोषण और एनीमिया मुक्त मैहर का संकल्प

बिदिशा मुखर्जी ने स्पष्ट किया कि सभा संवाद के माध्यम से वे लगातार मैदानी स्तर पर काम कर रही हैं। उनका लक्ष्य है कि जिले में कोई भी बच्चा कुपोषित न रहे और कोई भी महिला एनीमिया की शिकार न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता कार्यक्रमों में लापरवाही मिली, तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी गाज गिरेगी।

जंगल में सन्नाटा! 4 महीने में 26 बाघों की मौत

भोपाल।

मध्य प्रदेश में इस साल अब तक 26 बाघों की मौत हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर बिजली की चपेट में आए हैं तो कई का शिकार भी किया गया है। कई जगह इंफेक्शन मौत की वजह बना। कान्हा टाइगर रिजर्व में इस महीने अब तक तीन बाघों की मौत हो चुकी है। इसमें 3 अप्रैल को बाघिन टी-122, 21 अप्रैल एक नर शावक और 25 अप्रैल को एक और नर शावक का शव मिला था। पिछले आठ महीनों में रिजर्व में 10 बाघ और 5 तेंदुओं की मौत दर्ज की जा चुकी है।

बता दें कि मध्य प्रदेश कभी बाघों की दहाड़ और हरियाली के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। आज वहीं से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। सवाल सिर्फ कुछ टाइगर की मौत का नहीं, बल्कि पूरे जंगल के भविष्य का है।

कान्हा नेशनल पार्क के सरही जोन में एक ही मां के तीन बाघ शावकों की मौत ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इन शावकों की मौत फेफड़ों में संक्रमण के कारण हुई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये संक्रमण फैला कैसे? और समय रहते इलाज क्यों नहीं हो पाया?

जांच के लिए भेजे गए सैंपल

प्रधान मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक के मुताबिक, शावकों का पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक अन्य शावक और मादा टाइग्रेस का इलाज जारी है। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और रिपोर्ट का इंतजार है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह बाघों की मौत होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब कान्हा सिर्फ किताबों और तस्वीरों में सिमट कर रह जाएगा। इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा यहां के हजारों लोगों पर, जिनकी रोजी-रोटी इस जंगल और पर्यटन पर टिकी हुई है।

टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश को देश का टाइगर स्टेट कहा जाता है, लेकिन लगातार बढ़ती बाघों की मौत ने इस पहचान पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वन विशेषज्ञ अजय दुबे के मुताबिक, पिछले साल प्रदेश में करीब 55 बाघों और 130 तेंदुओं की मौत हुई थी। इस साल भी हालात में कोई सुधार नहीं दिख रहा है।

अब तक 26 बाघों की मौत

अजय दुबे का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही लगातार बढ़ रही है। फील्ड स्टाफ नियमित गश्त नहीं करता और निगरानी व्यवस्था बेहद कमजोर हो चुकी है। सर्विलांस सिस्टम भी फेल हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस साल अब तक 26 बाघों की मौत हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर बिजली की चपेट में आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां अफीम की खेती हो रही है और बाघों का शिकार तक किया जा रहा है।

वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आज तक सिर्फ बाघों की मौत ही हो रही है। आखिर वन विभाग क्या कर रहा है? क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? दरअसल, हर वर्ष बाघों की मौत लगातार बढ़ती जा रही है। 2026 के शुरुआती चार माह में ही 26 बाघों की मौत हो चुकी है। एक समय था जब 2008 में बाघों के लिए सरकार ने बड़े-बड़े कैंपेन चलाए थे, लेकिन आज जब बाघों की इतनी अच्छी संख्या मध्य प्रदेश में हो चुकी है, तब बाघों का संरक्षण ठीक से नहीं हो रहा है।

नए ठेके शुरू होते ही ठेकेदार की लूट, शराब की बोतल पर लिखी कीमत से अधिक राशि की वसूली

दो पांच रुपए ज्यादा वसूलने वाले व्यापारियों पर कार्यवाही करने वालाा खाद्य विभाग नदारद

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

नए सिरे से हुए प्रदेश के शराब ठेकों में कई जिलों में शराब ठेके सरकार की मंशा के विपरीत कम कीमत पर चले गए। अलग-अलग दुकानों की नीलामी की गई। जिसमें कंपोजिट दुकानों का सरकार का नियम सरकार को भारी पड़ा ओर शराब ठेकेदारो ने अंग्रेजी दुकान के मुकाबले कम कीमत में मिल रही देशी कंपोजिट दुकानों की बोली लगा कर ले ली, और करोड़ो की लागत की अंग्रेजी दुकानों को कोई खरीदार नहीं मिला। नतीजा सरकार को अंग्रेजी शराब की दुकानों की कीमत तीस से चालीस प्रतिशत कीमत पर देना पड़ी। नए सत्र के शुरू होते ही शराब ठेकेदार अपनी मनमानी पर उतर आया है और सरकारी नियमों के विपरीत काम करना शुरू कर दिए।

प्रिंट रेट से अधिक राशि वसूली जा रही है

कुछ दिनों पूर्व झाबुआ जिले की लाइसेंसी शराब दुकानों पर प्रिंट रेट से अधिक राशि वसूली का मामला सामने आया था। लेकिन जिम्मेदार आबकारी विभाग ओर खाद्य विभाग ने इसकी सूद नहीं ली। जिससे शराब ठेकेदार द्वारा अलग-अलग स्थानों पर प्रिंट रेट से ज्यादा पर शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है।

ताजा मामला ग्राम करवड़ की देशी कंपोजिट दुकान का है जहां टीन बियर लेने पहुंचे एक युवक से सेल्समैन ने 150 रुपए की मांग की। लेकिन शराब की टीन पर अधिकतम बिक्री मुख्य 115 लिखा हुआ था, जिसे देखने के बाद युवक ने अधिक पैसे वसूलने का विरोध दर्ज करवाया। लेकिन ठेकेदार के कर्मचारी ने ग्राहक की एक नहीं सुनी और 115 प्रिंट वाली शराब के 150 रुपए ही वसूले। इतना ही नहीं बेखौफ वसूली करने वाले ठेकेदार के कर्मचारी ने ऑनलाइन भुगतान तक करवा लिया।

सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत

अधिक राशि वसूले जाने के बाद युवक ने मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज करवाई। जहां से युवक की शिकायत दर्ज कर उसे शिकायत क्रमांक 37975263 दिया गया, शिकायत दर्ज होने के बाद मामला आबकारी के पास पहुंचा। जिसे इस अवैध वसूली पर कार्रवाई करना था लेकिन कार्रवाई की बजाए मामला ठेकेदार के लोगों के पास पहुंचता है। जो शिकायतकर्ता को फोन कर शराब की दुकान पर बुला कर मामला निपटाने की बात कहता है। हालांकि शिकायतकर्ता ने शिकायत वापस लेने के साफ मना कर दिया।

क्या खाद्य विभाग की जद में नहीं हैं शराब दुकान...?

वैसे तो खुले बाजार में किसी भी प्रकार का खराब सामान, एक्सपायर सामान या मूल्य से अधिक सामान की बिक्री पर लगातार खाद्य विभाग कार्रवाई करता देखा जाता रहा है। कोल्ड्रिंग को ठंडा कर देने के नाम पर दो-पांच रुपए अधिक वसूलने पर भी दुकानदार का प्रकरण बना दिया जाता है। यहां चौंकाने वाली बात यह सामने आई की शराब दुकान पर अगर एक्सपायर शराब ,मिलावट या अधिक मूल्य वसूली का मामला आता है तो उसे खाद्य विभाग ओर नापतोल विभाग इसकी जांच नहीं करेगी और जांच का जिम्मा आबकारी विभाग को ही दिया जाता है जो पहले से शराब ठेकेदार का अघोषित पार्टनर के रूप में कार्य करता है।

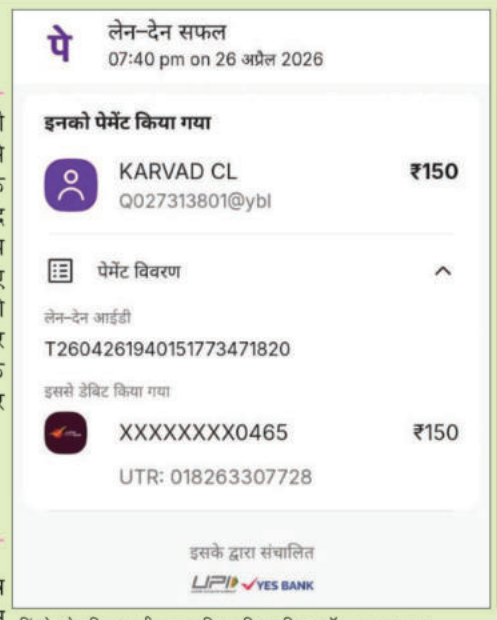

प्रिंट रेट से अधिक वसूली प्रमाण सहित, अधिक राशि का ऑन लाइन भुगतान।

सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत।

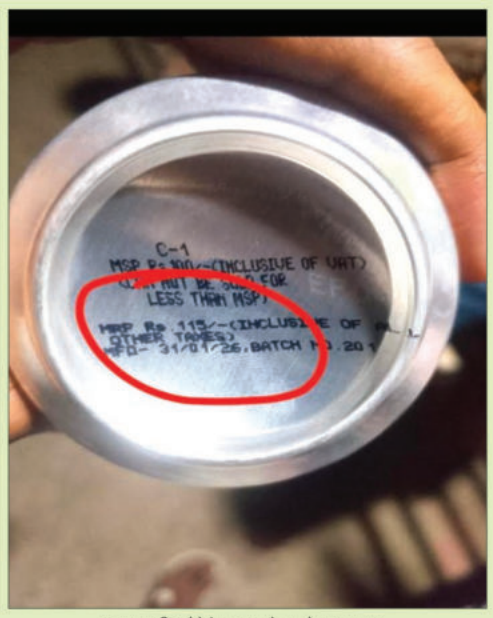

115 रूपए प्रिंट होने के बाद वसूले जा रहे 150 रुपए।

विकासखंड की सभी दुकानों का यही हाल

जिले के साथ-साथ विकास खंड की अधिकाश शराब दुकानों पर प्रिंट रेट से अधिक राशि वसूली जा रही है। एक्सपायर शराब के साथ मिलावटी शराब के मामले पूर्व में उजागर हो चुके है, लेकिन किसी भी मामले में जिम्मेदार आबकारी विभाग की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। शराब दुकान पर भाव-ताव को लेकर सवाल-जवाब करने वालो को डरा-धमका कर रवाना कर दिया जाता है। ठेकदार का पुलिस ओर आबकारी में इतना रसूक होता है कि, कोई शिकायत हो भी जाए तो कार्रवाई नहीं होती। जैसे करवड़ में हुई शिकायत पर कार्रवाई की बजाए ठेकेदार के लोग शिकायतकर्ता से शिकायत बंद करने की बात कर रहे है।

नए कलेक्टर साहब से उम्मीद

जिले को नए कलेक्टर मिले हैं और अवैध शराब व्यवसाय पर रोक लगाने को लेकर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से राजस्थान ओर गुजरात की सीमाओं से सटे होने के कारण जिले में अवैध ओर नकली शराब का व्यापार बढ़े स्तर पर हो रहा है। पुलिस ओर आबकारी की भूमिका अवैध शराब के व्यापार को लेकर शुरू से संदिग्ध रही हैं। ऐसे में नए जिला कलेक्टर से उम्मीद है कि, वो अपने स्तर पर इस अवैध व्यापार पर नकेल कस कर जिले की छवि सुधारने का कार्य करेंगे।

4 हजार से अधिक ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर भरकर तालाब में से मोरम-मिट्टी खनन होने तक गांधी जी के बंदर की तरह अंधा, गूंगा व बहरा बना हुआ था प्रशासन

माही की गूंज, खवासा। सुनील सोलंकी

कोई आम व्यक्ति अपने सपनों का आशियाना बनाए तो अपने मकान में भराव करने के लिए मोरम-मिट्टी लाने पर प्रशासन त्वरित जाग जाता है और छोटी सी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई कर अपनी वाह वाही लूटता है। जबकि यहां होना यह चाहिए कि, पंचायत स्तर पर शासन व प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए की जो भी आम व्यक्ति अपना मकान बनाए और भराव में मोरम-मिट्टी हेतु पंचायत में आवेदन कर रायल्टी के साथ उसे मोरम-मिट्टी खनन कर ला सके। लेकिन यह व्यवस्था न होने के चलते मजबूरी में अपने सपनों के आशियाने की नींव भरने हेतु बिना रॉयल्टी के मोरम-मिट्टी लाया जाता है और प्रशासन यहां अपनी कार्रवाई कर वाह वाही लूटता है।

वहीं दूसरी ओर सड़क निर्माण हो या कोई निजी कंस्ट्रक्शन का कार्य हो तो बड़ी मात्रा में बिना परमिशन व बिना रॉयल्टी के लाखों-करोड़ों घनमीटर मोरम-मिट्टी लाने पर भी प्रशासन विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती। शिकायत होने पर भी गांधी जी के बंदर की तरह अंधे,बहरे व गूंगे बन जाते हैं।

इसका एक उदाहरण नरसिंगपाडा में बन रही कपास की जिनिंग फैक्ट्री निर्माण के दौरान भी देखा जा सकता है। यहां बड़े रकबे में कपास की जिनिंग फैक्ट्री का कार्य चल रहा है। उक्त निर्माण के कार्य की परमिशन किस तरह ली गई है यह किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन पिछले करीब एक माह से अधिक समय से एक पोकलेन व करीब चार जेसीबीयों से खनन कर ढोलखरा तालाब में से बिना रॉयल्टी व बिना परमिशन के, एक आकलन अनुसार 4000 से अधिक ट्रैक्टर-ट्राली व डंपर मोरम-मिट्टी भरकर जिनिंग फैक्ट्री परिसर में दिन-रात लाया गया। जिसकी स्थानीय राजस्व अधिकारियों को भी शिकायत करने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन अधिकारियों द्वारा जवाब में कहा गया, गहरीकरण हो रहा है होने दो, इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

चार हजार से अधिक टेक्ट्रर-ट्राली व डंपर तालाब से भर मोरम-मिट्टी कपास जिनिंग फैक्ट्री परिसर में हुआ खाली।

खनिज विभाग ने पकडा 1 बैको लोडर जो पुलिस को सुपुर्द किया।

वही जानकारी रखने वाले यह भी बता रहे हैं कि, कपास जिनिंग प्लांट का जो कार्य करवा रहे हैं उन्हें यह पता लगा की कौन-कौन अधिकारियों को शिकायत कर रहा है तो उनसे मिलकर शिकायत नहीं करने के नाम पर अर्थ लाभ देकर चुप करने का प्रयास किया गया और स्थानीय अधिकारियों को भी मैनेज किया गया। करीब एक माह से हजारों ट्रैक्टर-ट्राली व डंपर से मोरम-मिट्टी खनन कर भरकर दिन-रात खाली हुए। लेकिन उसे देखकर भी प्रशासनिक नुमाइन्दे गांधी जी के बंदर की तरह अंधे, गूंगे व बहरे बने दिखाई दिए।

बताया जा रहा है कि, इस संबंध में भामल उपसरपंच ने भी शिकायत करने का प्रयास किया ,लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आखिरकार कोई बड़े दबाव के चलते 22 अप्रैल को खनिज विभाग के कुछ अधिकारी ढोलखरा तालाब पहुंचे। जिस समय भी एक से अधिक जेसीबी (बैकोलोडर) व अनगिनत ट्रैक्टर चल रहे थे। लेकिन जैसे ही खनिज विभाग के अधिकारी पहुंचे सभी अन्य जेसीबी व ट्रैक्टर भाग खड़े हुए और एक जेसीबी (बेकोलोडर) अधिकारियों के हत्थे चढ़ा, जिसे खवासा पुलिस के सुपुर्द किया गया।

इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई जानकारी हेतु माही की गूंज प्रतिनिधि ने खनिज विभाग झाबुआ की इंस्पेक्टर अलीशा रावत से चर्चा की तो फोन पर जानकारी देने के बजाय कहा कि, आप ऑफिस आ जाइए यहीं से जानकारी मिल पाएगी कहकर फोन काट दिया।

असल में यह खनन करवाने वाला मुख्य आरोपी किराए की जेसीबी (बेकोलोडर), पोकलेन के माध्यम से कपास जिनिंग फैक्ट्री का निर्माण करने वाला मालिक है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर किराए से चल रही जेसीबी को जप्त कर कार्य की इतिश्री की गई। जबकि खनिज विभाग को चाहिए था कि, वह नरसिंगपाडा में बन रही कपास की जिनिंग फैक्ट्री में जाते और वहां देखते की ढोलखरा तालाब में से कितना लाखों घनमीटर का खनन बिना रॉयल्टी और बिना परमिशन के कर के खनिज लाया गया।

बताया जा रहा है कि, कपास जिनिंग निर्माणाधीन फैक्ट्री में पिछले करीब एक माह से 4 से 5 हजार ट्रैक्टर-ट्राली व डंपर भरकर बिना रॉयल्टी के खनिज यहां खाली हुआ है। साथ ही जो खनिज अब तक लाया गया है उससे दो गुना से अधिक की और आवश्यकता यहां पर भराव समतलीकरण करने में मोरम-मिट्टी लगेगी।

अब आगे देखना होगा कि, कपास जिनिंग फैक्ट्री के निर्माणाधीन परिसर में आगे मोरम-मिट्टी किस परमिशन के आधार पर लाई जाएगी तथा जो मोरम-मिट्टी लाखों घनमीटर अब तक लाई गई है उसका मापदंड कर खनिज विभाग कार्रवाई करता है या एक जेसीबी जो किराए से लगी थी जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था को जप्त की गई। उक्त कार्रवाई को ही अपनी मुख्य कार्रवाई बताकर कार्य की इतिश्री कर लाखों घनमीटर लाया गया खनिज, मालिक को संरक्षण देकर अपना अर्थ लाभ लेकर कार्य की इतिश्री कर दी जाएगी या गांधी जी के यह प्रशासनिक बंदर अपनी आंख, कान व मुंह खोल वास्तविक कार्रवाई कपास जिनिंग फैक्ट्री में जाकर करेंगे...?

चोरी की घटना बड़ी है तो जिले में होने वाली चोरियों व लूट के वास्तविक मामले दर्ज क्यों नहीं करती पुलिस...?

माही की गूंज, झाबुआ।

अजब एमपी की गजब पुलिस की कार्यप्रणाली की बात करें तो, इस पर बड़ा इतिहास लिखा जा सकता है। पश्चिमी छोर पर राजस्थान व गुजरात सीमा पर बसे झाबुआ जिले की पुलिस की कार्यप्रणालियों के संबंध की बात कर तो, यहां की पुलिस को अपनी मनमर्जी अनुसार कार्रवाईया करने के संबंध में राष्ट्रपति पुरूस्कार भी दिया जाए तो वह भी कम ही होगा ।

चूकि यहां की पुलिस जीवित महिला को मृत घोषित कर बेगुनाहों को जेल की सलाखों में डाल देती है। जो व्यक्ति पहले से मर चुका हो जिसके बाद हुए हत्या के मामले में पूर्व में मृत व्यक्ति को हत्या जैसे संगीन मामले में मुख्य आरोपी बना देती है। इसी कड़ी में जो पुलिस कह रही है कि, चोरी के मामले असल में बड़े होते हैं, वहीं पुलिस जिले में हुई चोरियों व लूट के संबंध में अपने रिकार्ड को दुरुस्त रखने के चक्कर में लुट व डकैती को सामान्य रूप से सेंध लगाकर हुई चोरी का रूप दे देती है।

तो वही जिले की प्रत्येक चौकी व थाना क्षेत्र में एक-दो या 10 नहीं बल्कि सैकड़ो ऐसी चोरियां हो चुकी है। लेकिन पुलिस ने कभी उसका अपराध ही दर्ज नहीं किया और जिन चोरी, लूट व डकैती के मामलों में अपराध दर्ज हुए उनमें पीड़ित द्वारा चोरी हुए माल एवं नगदी, संपूर्ण आभूषण व राशि का एफआईआर में कभी उल्लेख नहीं किया गया। अगर किसी पीड़ित ने अपने घर या प्रतिष्ठानों में हुई संपूर्ण चोरी व आभूषणों का उल्लेख एफआईआर में दर्ज करने की जिद की तो पीड़ित को अपराधी की श्रेणी में रख, चोरी हुई सामग्री के बिल मांग कर पुलिस द्वारा पीड़ितों को दबाने का प्रयास किया जाता रहा है। वहीं पुलिस जप्ती के नाम पर खानापूर्ति कर जो भी नाम मात्र के आभूषण जप्ती में होना बताती है वह आभूषण भले ही पीड़ित के चोरी किए हुए आभूषण ना हो, तो भी पीड़ित को अपने आभूषण है पहचान करने पर विवश कर मामले का पटाक्षेप न्यायालय तक किया जाता रहा है। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने है ऐसे में चोरी, लुट एवं डकैती जैसे मामलों में पुलिस अपना विश्वास पूरी तरह से आमजन की नजरों में खो चुकी है।

इसी कड़ी में जिले के सालरपाड़ा में हुई चोरी का मामला भी एक है। सालरपाड़ा के गातला फलिया के गेंदा सिंगाड़ के घर में सेंध लगाकर 23-24 अप्रैल की रात्रि में 5 किलो के करीब चांदी व 2 लाख के करीब नगदी की चोरी, 8 किलोमीटर दूर ग्राम घावलिया के चोरों ने कर चोरी को अंजाम दिया। जिसमें अमरा मैडा, महेश मैडा, अमन, विजनु व सुखया ने चोरी को अंजाम दिया और यह चोरी व चोरी के बाद हुई जो भी घटना व कार्रवाई दोनों जिलों में चर्चा का विषय बन गया।

मामला कुछ यूं कि, गेंदा सिंगाड़ के घर में शादी होना थी और इसी के चलते घर में नगदी व 5 किलो के करीब चांदी के आभूषण रखे थे। चोर जब चोरी कर जाने लगे तो गेंदा सिंगाड़ व परिवार को घर में चोरी होने का आभास हुआ और जोर-जोर से चिल्ला कर गांव में वार की । लोगों ने चोरों का पीछा कर अमरा मैडा व महेश मैडा को पकड़ लिया वही अमन ,विजनु और सुखया भागने में सफल रहे।

पीड़ित गेंदा व ग्रामवासी चोरी के मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली के संबंध में भली भांति अवगत थे कि, पुलिस को जब एफ आई आर लिखवाने जाएंगे और उसमें 5 किलो चांदी के आभूषण व 2 लाख की नगदी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे तो, पुलिस किसी भी स्थिति में पहले मामला ही दर्ज नहीं करेगी। और दबाव के बाद मामला दर्ज करेंगी तो भी इतने आभूषण व नगदी की चोरी का उल्लेख एफआईआर में कभी नहीं करेगी। और जो भी एफआईआर में नाम मात्र की रिपोर्ट दर्ज करेगी उसमें भी किसी अन्य आभूषणों की जप्ती बताकर पीड़ित को अपना आभूषण होने का दबाव बनाकर मामले का पटाक्षेप कर दिया जाएगा।

ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली के चलते पीड़ित गेंदा व परिवार के साथ ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि, जो चोरी का माल चोट्टे अमन, विजनु व सुखया लेकर फरार हो गए हैं वह चोरी हुआ माल जब तक उनके सुपुर्द नहीं कर दिया जाता है तब तक पकड़े गए चोर अमरा व महेश मैडा को पुलिस के सुपुर्द नहीं करेंगे।

झाबुआ सहित तीन थानों की पुलिस व अधिकारी 24 अप्रैल को पूरे दिन सालरपाड़ा में मुस्तेद रही और जब तक चोरी का माल उनके पास नहीं आया तब तक उन चोरों को देर शाम तक पुलिस के सुपुर्द नहीं किया। दोनों गांव के बीच सुलह होने के बाद शाम को दोनों चोरों को पुलिस के सुपुर्द किया। चोट्टे ने भागते समय ग्रामीणो पर फायरिंग भी की यह भी ग्रामीणों का कहना है। लेकिन पुलिस ने दोहरी चाल खेल चोट्टो के विरुद्ध मामला दर्ज करने के साथ ही चोरों को ही फरियादी बनाकर गांव के 35 से 40 लोगों के विरुद्ध चोरो पर हमला करने एवं बंदी बनाने के संबंध में मामला दर्ज कर लिया। जिसमें 10 से 12 नामजद भी है इसके बाद मामला और बड़ा और पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की बैठक कर निर्णय लिया गया कि, चोरो को फरियादी बनाकर जो अपराध पुलिस ने दर्ज किया है वह गलत है। जबकि पुलिस ने पीड़ित गेंदा की रिपोर्ट पर सिर्फ चोरी का मामला दर्ज किया। लेकिन चोरों द्वारा बंदूक या देसी कट्टे से जो फायरिंग की गई उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया, की1 चर्चा ग्रामीण कर रहे हैं।

वहीं पुलिस, मीडिया को कह रही है कि, पैसा एक्ट सामान्य मामलों में समाधान कर सकता है चोरी करना बड़ा मामला होता है जिसमें सजा का प्रावधान है। पुलिस की यह बात हम सही भी मान ले लेकिन पुलिस अगर जिले में होने वाली चोरी, लूट एवं डकैती के प्रत्येक मामलों में त्वरित व पूरा मामला दर्ज करने लग जाए तो सालरपाड़ा के ग्रामीणों की तरह कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन पुलिस अपनी कार्यप्रणाली के चलते चोरी, लूट व डकैती जैसे मामलों में अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है इसी कारण सालरपाड़ा में चोरी के बाद हुई यह घटना सामने आई।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422